विभाग का नाम	**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या**	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लंबित कंडिकाए	कंडिकाओं की सख्या	कुल सख्या
Civil Aviation Deptt.	425	1979-80	3.18	1	4
		1987-88	1.21,1.22	2	
		1996-97	3.3(Part) ,(3.3.2)	1	

प्रकाशन संख्या-434

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 425

सिविल विमानन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 से 1999-2000 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

प्रतिवेदन

सिविल विमानन विभाग

वर्ष 1977-78

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1(I)	2.3	अनुपूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग 12-लोक निर्माण कार्य, आवास एवं सिविल विमानन मूल अनुदान - 44,76.26, अनुपूरक अनुदान - 75.85, व्यय-38,76.04, बचत- 6.76.08	सिविल विमान विभाग से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में यह आपत्ति नहीं है।	लोक लेखा समिति की आयोजित की दिनांक 31.12.2002 को हुई बैठक के आलोक में निर्णयानुसार सिविल विमानन से संबंधित नहीं है, को निरस्त करते हुए विभाग चिन्हित कर उन्हें स्थानान्तरित कर दें।
(II)	2.4	अप्रयुक्त धन व्यवस्था- परिशिष्ट-II 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन कुल अनुदान/विनियोग - 45,52.12, व्यय-38,76.04, बचत -6,76.08	1977-78 वित्तीय वर्ष में सिविल विमानन के लिए योजना मद में 4,00,000/= रूपये गैर योजना मद में 9,45,000/= रूपये अर्थात कुल 13.45 लाख रूपये का उपबंध था जिसमें से उक्त वित्तीय वर्ष में योजना मद में कुल 3,29,557/= रूपये एवं गैर योजना मद में कुल 7,99,908/= रूपये का व्यय हुआ। अर्थात कुल मात्र लगभग 2.15 लाख रूपये की बचत हुई है। अतिरिक्त राशि की बचत सम्भवतः लोक निर्माण एवं आवास विभाग में हुई होगी। विभागीय पत्रांक सि.वि.वि.-1-21/2001-514 दिनांक 15.09.2001 के माध्यम से बिहार विधान सभा की समिति को भेजा गया।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

वर्ष 1978-79

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
2	2.3	अनुपूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल अनुदान- 47,79.65, अनुपूरक, अनुदान-11,45.18, व्यय- 57,05.78, बचत- 2,19.05	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है। वर्ष 1978-79 में बिहार उड्डयन संस्थान के कतिपय व्यय हेतु गैर योजना एवं योजना मद में क्रमशः 7,88,000/= रूपये एवं 2,00,000/= रूपये उपबंधित था जिसका सम्पूर्ण व्यय उक्त वित्तीय वर्ष में किया गया। विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 15.09.2001 के माध्यम से ज्ञापित।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

वर्ष 1979-80

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
3(I)	2.3	अनुपूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल अनुदान- 53,82.89, अनुपूरक अनुदान- 5,[illegible] 03, व्यय- 54,47.69, बचत-4,54.23	सिविल विमानन विभाग के अधिनस्थ बिहार उड्डयन संस्थान के लिए इस वर्ष मे क्रमश: योजना एवं गैर योजना मद मे 5,00,000/= रुपये एवं 11,50,200/= रुपये का उपबंध था जिसके विरुद्ध क्रमश: 2,574.85 एवं 5,92,894.62 रुपये का व्यय किया गया । इस वित्तीय वर्ष मे कुल बचत-10,55,331.00 रुपये का हुआ । विभागिय पत्रांक 514 दिनांक 15.05.2001 द्वारा ज्ञापित ।	बचत 50 प्रतिशत से अधिक है । भविष्य में इनफ्लेटेड बजट न बनाया जाय । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
(II)	2.6	12-लोक निमार्ण कार्य, आवास और सिविल विमानन प्राक्कलित राशि की वसूली- 3,19.39, वास्तविक राशि 9,39.41, अधिक राशि- 6,20.02	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । विभागिय पत्रांक 514 दिनांक 15.05.2001 द्वारा ज्ञापित ।	विभाग अपने स्तर से सम्बंधित विभाग को स्थानान्तरित कर दें । वित्त विभाग समीक्षा कर 3 माह के अन्दर समीक्षा की प्रति प्रेषित करे
(III)	3.18	लोसेस ऑफ स्टेट ओन्ड एयरक्राफ्ट	इस वित्तीय वर्ष मे राजकीय वायुयान संगठन वित्त विभाग के अधिन था । फरवरी,1989 मे वित्त विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय के गठन के पश्चात् स्वतंत्र रूप से सिविल विमानन विभाग का गठन 1991 मे किया गया है । वित्त विभाग के अधिन जब राजकीय वायुयान संगठन था, उस अवधि मे सिविल विमानन के सभी कार्य वित्त विभाग के स्तर से किया गया था । विभाग मे संबंधित संचिका/अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस कंडिका पर समुचित उत्तर वित्त विभाग द्वारा ही तैयार किया जाना वांछित होगा । विभागिय पत्रांक 514 दिनांक 15.05.2001 द्वारा ज्ञापित ।	दिनांक 31.12.2002 की बैठक में इस आपत्ति को वित्त विभाग को स्थानान्तरित किया गया। वित्त विभाग इसकी समीक्षाकर समिति को 3 माह में प्रतिवेदित करे ।

वर्ष 1980-81

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
4	2.2 4	Excess over grants charged appropriations regarding regularisations. 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल अनुदान 50,89,55,500 694344585 अनुपूरक अनुदान 18,53,29,035 800731835 106387250	1980-81 वर्ष में सिविल विमानन (बिहार उड्डयन संस्थान) के लिए योजना एवं गैर योजना के अन्तर्गत क्रमशः 6,00,000/= रूपये एवं 11,87,000/= रूपये का उपबंध था । उक्त वर्ष में सम्पूर्ण उपबंधित राशि का व्यय किया गया है । विभागिय पत्रांक 514 दिनांक 15.05.2001 द्वारा ज्ञापित ।	सिविल विमानन विभाग से संबंधित कंडिका को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.3	Supplementary grants charged appropriations	"	तदैव
	(11)3	12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल अनुदान-50,89.86, अनुपूरक अनुदान 18,53.59, व्यय-80,07.32, अधिक व्यय-10,53.87	"	तदैव

वर्ष 198- 82

क्रमांक	कं. सं.	[illegible]	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष अनुशंसा
		3.	4.	5.
[illegible]	2.2 7	अनुदान/प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय जिसकी नियमित करना है । 12 लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल- 63,49,41,400 853359770 अनुपूरक- 21,94,18,370 931716977 78357207	1981-82 वर्ष में बिहार उड्डयन संस्थान। सिविल विमानन विभाग के लिए योजना एवं गैर योजना मद में क्रमशः 8,00,000/= रुपये एवं 15,00,000/= रुपये का उपबंध था तथा उक्त वर्ष में सम्पूर्ण उपबंध का व्यय किया गया । विभागीय पत्र 514 दिनांक [illegible] द्वारा ज्ञापित ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.3 5	अनुपूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन मूल अनुदान 63,49.42,अनुपूरक अनुदान- 21.94.18, व्यय-93,17.17, अधिक व्यय-7,83.37		

वर्ष 1983-84

क्र०सं०	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4	5.
6	2.2.6	In the following grants appropriations the expenditure exceeded approved provision by more than (33.25 lakhs to Rs.1 Crore each) and also by more than 10 percent of the total provision:- 12-Public works, Housing and Civil Aviation Amount of excess 9,44,82,893(10.68) Reasons not intimated (May 1983)	इस वित्तीय वर्ष में सिविल विमानन विभाग (बिहार उड्डयन संस्थान) के लिये गैर योजना में 21,2[illegible],308/= रूपये योजना में 8,00,000/= रूपये एवं 4,68,000/= रूपये का अनुबंध था जिसके विरूद्ध 14,26,600/= रूपये एवम 4,68000.00रूपये का व्यय हुआ एक्सेस एक्सपेंडिचर का मामला सिविल विमानन हेतु लागू नहीं है ।	जो अत्यावश्यक हो उसी का बजट में उपबंध किया जाय । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.2.7	Persistent excess were in the following case:- Description of grant/ appropriation 12-Public works, Housing and Civil Aviation Percentage of excess 1981-82 1982-83 1983-84 1.39 4.34 10.68		विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.4	Advances from contingency fund		तथैव
	2.5	Shortfall/excess in recoveries 12-लोक निर्माण, कार्य आवास और सिविल विमानन स्टीमेटड कंडीट/ रिकोभरी- 2,97,18(+)एमाउन्ट एक्सेस (+)शोर्टफाल(-)26,3[illegible].70	सिविल विमानन विभाग से संबंधित नहीं है । सिविल विमानन विभाग से संबंधित नहीं है । विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 19-09-2001 द्वारा प्राप्त ।	सिविल विमानन विभाग से संबंधित नहीं है । अतः निष्पादित माना जाय ।

वर्ष 1984-85

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
7	2.3.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 15-09-2001 द्वारा ज्ञापित	वित्त विभाग समीक्षा कर उत्तर उपलब्ध करा दे ।

वर्ष 1985-86

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
9	2.3.	नयी सेवा/नयी सेवा प्रपत्र पर व्यय	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 15-09-2001 द्वारा ज्ञापित ।	समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.4	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 15-09-2001 द्वारा ज्ञापित ।	वित्त विभाग समीक्षा कर समिति को सूचित करें ।
	2.6	वसूलीयों में कमी 12-लोक निर्माण कार्य, आवास तथा नागरिक उड्डयन अनुमानित क्रेडिट/वसूली- 3,10.83(-) राशि अनुमानों की तुलना में अधिक (+) कमी (-) -3,10.83	सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । विभागीय पत्रांक 514 दिनांक 15-09-2001 द्वारा ज्ञापित ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1986-87

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2.2.5	धन व्यवस्था का आधिक्य 12-लोक निर्माण कार्य, आवास तथा नागरिक उड्डयन अनुपूरक धन व्यवस्था-0.10 बचत की राशि - 0.14	सिविल विमानन विभाग (बिहार उड्डयन संस्थान) के लिए आवंटन, खर्च एवं प्रत्यर्पण निम्न प्रकार है :- — | आवंटन | खर्च | प्रत्यर्पण गैर योजना | 27,32,000/- | 11,40,107/- | 15,91,893/- — | 11,00,000/- | 02,84,619/- | 08,15,381/- — | 38,32,000/- | 14,24,726/- | 24,07,274/-	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.2.7	निम्नलिखित अनुदानों में निरंतर बचत पायी गई: 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन बचत का प्रतिशत 1984-85 1985-86 1986-87 15.54 4.53 [illegible].84		
	2.2.9 ख	बचत का प्रत्यर्पण 12-लोक निर्माण कार्य, आवास और सिविल विमानन	गैर योजना मद में बचत का मुख्य कारण है कि प्रशिक्षणार्थ विमान की कमी हो के फलस्वरूप कम उड़ान होने पर विमान अनुरक्षण, छात्रावृत्ति एवं कार्मिकों का पद रिक्त रहने के कारण हुआ है ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.5.4	कुल बचत की तुलनात्मक प्रतिशतता-7.27 (56.31)	इसी प्रकार योजना मद में अन्य क्षेत्रीय उपकेन्द्रान्तर्गत मुजफ्फरपुर के लिए पद सृजित नहीं होने एवं प्रशिक्षण उड़ान कम हो जाने के कारण हुआ है ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.4	बजट प्रलेख में अशुद्धियाँ 12-लोक निर्माण, आवास और सिविल विमानन दत्तमत-मूल- (+) 3.20.60	विभागीय पत्रांक 17 दिनांक 10.01.2003 द्वारा ज्ञापित ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
	2.6	अनुपूरक-(+) 8.48 आकस्मिकता निधि से अग्रिम वसूलियों में कमी 12-लोक निर्माण, आवास और सिविल विमानन अनुमानित क्रेडिट/वसूली-3,10.83 राशि अनुमानों की तुलना में अधिक (-) कमी - (-)-(-) 3.10.83	आकस्मिक निधि से सिविल विमानन के मद में अग्रिम नहीं लिया गया है जैसा कि उपलब्ध अभिलेख से परिलक्षित है । बचत का मुख्य कारण ऊपर वर्णित है ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक	कंडिका का विवरण एवं संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
	2.	[illegible]	4.	5.
	1.21.5 बजट प्रावधान और व्यय 1.21.6 वायुयान बेड़ा 1.21.6.(1) 1.21.6.(2) 1.21.6.(3) 1.21.7.(1) 1.21.7.(2) 1.21.7.(3) 1.21.7.(4) 1.21.8.(1) 1.21.8.(2)	782.72 लाख रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध (1983-88) एक विमान प्राप्ति पर 2.93 लाख रुपये (नवम्बर 1985) कर्मी दल कर्मचारी के वेतन और भत्ते पर 64.47 लाख रुपये और विमान के रख रखाव पर 518.33 लाख रुपये (8 प्रतिशत) को शामिल करते हुए 612.72 लाख रुपये खर्च किए गए। विदेश से वायुयान प्राप्ति पर विदेशी मुद्रा के व्यवहार को कम करने की दृष्टि भारत सरकार ने सरकार ने एक समय में अधिक से अधिक तीन वायुयान रखने की प्रतिज्ञा की (1976) फिर भी 1 अप्रैल 1983 को राज्य के पास 6 वायुयान थे जिसमें से दो वायुयान की नवम्बर 1983 मार्च 1988 में बिक्री कर दी गई, और नया वायुयान नवम्बर 1985 में प्राप्त किया गया। मार्च 1988 के अन्त तक विभाग के पास 5 विमान उपलब्ध थे। प्राप्ति की तिथि, मूल्य, नाम, कुल उड़ान 1983-88 में प्रति वर्ष औसत उड़ान दिखाते हुए विवरण परिशिष्ट में दिखाये गये है। सिविल विमानन विभाग के गठन के पूर्व राजकिय वायुयान संगठन (वित्त विभाग) के वायुयानों के सम्बन्ध।	1987-88 वर्ष में राजकीय वायुयान संगठन, वित्त विभाग के अधीन था और इस अवधि में जो उपबंध एवं व्यय किए गए तत्सम्बन्धित कोई भी संचिका/ अभिलेख सिविल विमानन विभाग को उपलब्ध नहीं है। अन्य उप कण्डिकाओं पर जो चर्चा की गई है उससे सम्बन्धित संचिका/ अभिलेख सिविल विमानन विभाग के स्तर से समुचित उत्तर तैयार कराना उचित होगा। विभागीय पत्रांक 17 दिनांक 10.01.2013 द्वारा ज्ञापित।	दिनांक 31.12.2012 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सभी कंडिकाओं को वित्त विभाग को स्थानान्तरित किया जाता है। (ii) विभाग इसकी समीक्षा कर यथोचित उत्तर समिति को 3 माह में उपलब्ध करा दें।
	1.21.9.(1) 1.21.9.(2)	संचालन	इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 के कंडिका [illegible] का उत्तर जो बिहार विधान सभा सचिवालय को भेजा गया है उसकी छाया प्रति सूचनार्थ [illegible] संलग्न है। पूर्व में महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण दल द्वारा उठाई आपत्तियों के आलोक में भी जो उत्तर तैयार किए गए थे;	भविष्य में यात्रा का कारण वर्णित होना चाहिए। इस निदेश के साथ इस कंडिका को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

वर्ष 1987-88

क्रमांक / कंडिका [illegible]	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा
2	3	4	5
1.21.9.(3)	संचालन	सरकारी वायुयान के उपयोग के लिए किए गए नियमावली के आलोक में वायुयान में प्रशासनिक कारणों से विशेष परिस्थितियों में रिक्त स्थानों में भरने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 17 रुपये प्रति सीट प्रति उड़ान मील [illegible] की दर से वसूली अब विभाग द्वारा की जा रही है।	समिति इस निर्देश के साथ कि सरकारी [illegible] में कोई [illegible] खाली [illegible] उपयोग किन्हीं के द्वारा [illegible] [illegible] नियम और [illegible] के तहत ऐसे [illegible] की अद्यतन स्थिति क्या है? सभी कंडिकाओं का [illegible] 3 माह में सुस्पष्ट रूप से [illegible] करें।
1.21.9.(4),	संचालन	महामहिम राज्यपाल/मुख्य मंत्री/मंत्री आदि द्वारा राजकीय विमान का उपयोग प्रशासनिक कार्य में ही किया जा रहा है। अगर निजि कार्य में उपयोग किया गया होता तो अधियाचना पत्र में तद्नुसार उल्लेख रहता। ऐसी स्थिति में उक्त विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निजी कार्य को मान्यता देते हुए किसी प्रकार की राशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता है।	
1.21.9. (5). (5). (7), (8)	संचालन	इस उप कंडिका से सम्बन्धित संचिका अथवा कोई अभिलेख सिविल विमानन विभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः सम्भवतः वित्त विभाग द्वारा ही उत्तर तैयार करना अपेक्षित होगा।	
1.21.9. (9)	संचालन	सिविल विमानन विभाग के विमान की कमी एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा यात्रा की संख्या अधिक होने के कारण भी उपलब्ध सम्बन्धित विभाग का सदुपयोग करने के उद्देश्य से विशिष्ट जन को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाया जा सके। ऐसी परिस्थिति में खाली विमान की उड़ान अवश्यम्भावी है। वैसे इस संबंध में अत्यन्त ही मितव्ययिता की व्यवस्था की गई है।	
1.21.10. रख-रखाव 1.21.10.(1) 1.21.10.(2) 1.21.10.(3)		उप कंडिकाओं से संबंधित कोई संचिका अथवा अभिलेख सिविल विमानन विभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः इसका उत्तर सम्भवतः तत्कालीन प्रशासी विभाग (वित्त विभाग) द्वारा ही तैयार किया जा सकता है।	दिनांक 13.01.2003 की बैठक में निष्पादित।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	अंतर्वस्तु	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	1.22.[illegible] अनुदान और ऋण	[illegible] तक लेखा परीक्षित लेखा, संस्थान द्वारा नहीं दिये जाने के कारण भारत सरकार 8.35 लाख रूपये की आर्थिक सहायता/अनुदान की विमुक्ति नहीं की जिसकी चर्चा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1982-83 (सिविल) के प्रतिवेदन की कंडिका [illegible] में की गई है। इनमें से संस्थान को मार्च 1988 तक 1.04 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष प्राप्त हो सका। [illegible] 15 लाख रूपये का 1983-84 से 1987-88 तक के दावे की प्रतिपूर्ति भी [illegible] रुकाया है। 1987-88 से संस्थान ने लेखा परीक्षित लेखा दे दिया है। कुछ स्पष्टीकरण के लम्बित रहने के कारण भारत सरकार ने अभी तक आर्थिक सहायता मुक्त नहीं किया है। इन स्पष्टीकरणों को संस्थान ने नहीं दिया है।	काल-क्रम में लगातार [illegible] महानिदेशक, सिविल विमानन विभाग, भारत सरकार को भेजी गई है और महानिदेशक, सिविल विमानन, भारत सरकार द्वारा 1982-83 से 1987-88 तक के लिए वांछित आर्थिक सहायता महालेखाकार, बिहार को सीधे भेजी जाती रही है। इससे संबंधित अभिलेख महालेखाकार, बिहार द्वारा ही संधारित होता है।	[illegible] उत्तर से समिति [illegible] अनावश्यक उपाय में बचे। इस [illegible] के साथ समिति इस कंडिका को आगे [illegible] नहीं चाहती है।
	1.22.[illegible](2) आवंटन और व्यय	संस्थान ने भारत के एयरो क्लब नई दिल्ली का [illegible] अधिनियम निर्धारित संस्थान सितम्बर 1986 में 10 लाख रूपये मूल्य के एक विमान तथा 46 लाख रूपये के पट्टे के आधार पर दूसरा विमान देने के लिए 10.46 लाख रूपये अग्रिम दिया। न तो कोई अनुबन्ध किया गया और न दो वायुयानों की आपूर्ति की तिथि निर्धारित की गई थी। भारत सरकार [illegible] प्रशिक्षक वायुयान के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण (विधि उपलब्ध नहीं कराई गई)। क्लब ने नवम्बर 1986 में राशि (10.46 लाख रूपये) लौटा दिए। संस्थान ने राशि का खजाने में जमा करने के बदले भारतीय स्टेट बैंक, पटना के चालू खाते में दिसम्बर 1986 में नियम के विरूद्ध जमा कर दिया। राशि की निकासी एवं चालू खाते में बिना तत्काल आवश्यकता के रखने के कारण राज्य सरकार के दुर्लभ साधनों को अवरूद्ध किया गया।	सम्बन्धित राशि बिहार राज्य कोश में वर्ष सितम्बर, 1996 में जमा करा दिया गया है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	1.22.4 विशिष्टतायें	- 1983-88 के दौरान बजट प्राक्कलन में उपलब्ध 214.66 लाख रुपये में से संस्थान ने मात्र 92.71 लाख रुपये ही खर्च किए । (कंडिका 1.22.5) - 1983-88 के दौरान उपलब्ध 7 से 9 वायुयान और 3 विसर्पक (ग्लाइडर) में से या दो विमान का प्रभावी तरीके से व्यवहार हुआ, 31 मार्च 1988 को सभी 3 विसर्पक निष्क्रिय थे । (कंडिका 1.22.6.2) - वायुयानों/ विसर्पकों को उड़ान योग्य दशा में रखने में असफलता से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा । (कंडिका 1.22.6.2) - 1983-88 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के 107 प्रशिक्षणार्थियों में से (अन्तर्ग्रहण क्षमता नहीं निर्धारित) 44 सफल प्रशिक्षणार्थियों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान किये गए, 32 प्रशिक्षणार्थियों ने पाठ्यक्रम पूर्ण किए बिना संस्थान छोड़ दिया तथा 31 प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे । (कंडिका 1.22.6) - मुजफ्फरपुर में 1976 में आरम्भ किया गया प्रशिक्षण केन्द्र नवम्बर 1985 में बन्द कर दिया गया और राँची केन्द्र ने अभी तक (दिसम्बर 1998) कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं आरम्भ किया है । दो केन्द्रों के विमानशालाओं का निर्माण, विसर्पक की खरीद, कर्मचारियों के वेतन एवं मशीन और उपस्कर आदि पर 1987-88 में किया गया 50.01 लाख रुपये का व्यय पूरी तरह निष्फल रहा । (कंडिका 1.22.6.3) - भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम की तुलना में उच्चतर उड़ान दर के चलते 75.10 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । (कंडिका 1.22.7) - 1983-88 के दौरान ईंधन की अधिक खपत के कारण 1.88 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । (कंडिका 1.22.8)	- 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 वर्ष में बिहार उड्डयन संस्थान के लिए कुल उपबंध एवं व्यय की विवरणी नीचे दी गई है :- उपबंध व्यय 1983-84 29,[illegible]1,500.00 10,94,493.00 1984-85 32,67,000.00 22,51,051.00 1985-86 35,[illegible]3,000.00 25,00,227.00 1986-87 38,[illegible]2,000.00 14,24,727.00 1987-88 58,[illegible]0,600.00 15,33,766.00 1, 91,34,100.00 95,93,264.00 उपरोक्त के आलोक में उक्त अवधि में कुल 194.14 लाख रुपये के विरुद्ध संस्थान में कुल 95.93 लाख रुपये का खर्च किया गया । कम व्यय का कारण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

[illegible]		आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति के निष्कर्ष/अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	1.22.6. कर्मचारी भर्ती और प्रशिक्षण	31 मार्च 19[illegible] को विभिन्न स्वीकृत पदों एवं कार्यरत व्यक्तियों की [illegible] है जिसमें [illegible] केन्द्र मुजफ्फरपुर एवं रांची भी सम्मिलित है : (तालिका नीचे)	[illegible] [illegible] किसी भी [illegible] संगठन में [illegible] [illegible] अधिकारी/कर्मचारी की आवश्यकता होती है और उक्त विशिष्ट तकनीकि [illegible] के लिए [illegible] योग्यता/अनुभव वाले [illegible] को [illegible] कमी रहती है [illegible], संस्थान द्वारा अथक प्रयास के बावजूद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सके।	विभागीय [illegible] [illegible] समिति [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] नहीं [illegible] है।

	केन्द्र का नाम	प्राविधिक		अप्राविधिक	
		स्वीकृत	स्थानगत	स्वीकृत	स्थानगत
1.	पटना	2[illegible]	[illegible]0	36	[illegible]4
2.	मुजफ्फरपुर	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
3	रांची	5	शून्य	4	शून्य

इस प्रकार संस्थान में अपेक्षित कर्मचारियों की कमी थी। मुख्य वायुयान अभियंता का पद [illegible] 1986 से रिक्त पड़ा हुआ है।

संस्थान में मुख्यतः 4 पाठ्यक्रमों में जैसे निजी चालक अनुज्ञा-पत्र (पी0 पी0 ए0 10, व्यावसायिक चालक अनुज्ञा-पत्र (सी0पी0एल0), विसर्पक (ग्लाइडर्स) चालक अनुज्ञा-पत्र सी0पी0[illegible] [illegible] और वायुयान रखरखाव अभियंता (ए0एम0ई0) अनुज्ञा-पत्र में प्रशिक्षण दिया जाता था।

1983-88 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 44थी (पी0पी0एल0:19, सी0पी0एल0:24, ओ0पी0एम0:1)। पहली अप्रैल 1983 को 63 [illegible] प्रशिक्षणार्थी थे जो अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम 1983-84 के पहले से कर रहे थे उनमें मुजफ्फरपुर केन्द्र के 18 प्रशिक्षणार्थी भी सम्मिलित थे जहाँ किसी प्रशिक्षणार्थी को 1983-88 के दौरान भर्ती नहीं किया गया था। 198[illegible]-88 के दौरान [illegible] सफल प्रशिक्षणार्थियों को अनुज्ञा-पत्र [illegible] 26 सी0पी0एल0:1[illegible], [illegible] दिए गए और 32 प्रशिक्षणार्थियों ने पाठ्य-क्रम [illegible] किए बिना संस्थान छोड़ दिया था (कारण [illegible] जाँच नहीं की गई थी) और मार्च 1988 को अन्त तक 3[illegible] प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे [illegible] [illegible]:14 सी0पी0एल0:17)।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	1.22.6.(1) कर्मचारी भर्ती और प्रशिक्षण	1983-88 के दौरान ए० एम० ई० पाठ्यक्रम में किसी प्रशिक्षणार्थी को भर्ती नहीं किया गया था । 1981-84 के दौरान ए० एम० ई० पाठ्यक्रम में 15 प्रशिक्षणार्थी को, जिन्होंने जून 1979 से [illegible] में योगदान किया था, 0.70 लाख रूपये की छात्रावृति दी गई थी । पाठ्यक्रम पूरा होने के पहले सभी प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान छोड़ दिया था । इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावृति पर इस प्रकार 0.70 लाख रूपये का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ । ऐसे मामलों में विभाग ने छात्रावृति की वापसी के लिए कोई नियम [illegible] विभाग ने ए० एम० ई० के छात्रों की अभिरूचि में कमी के कारणों की जाँच नहीं की ।	1983-84 के दौरान जैसे किसी विद्यालय/ महाविद्यालय में किसी वर्ग में असफलता के [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र बिहार उड्डयन संस्थान में भी प्रशिक्षण के क्रम में अपेक्षित सफलता नहीं होने के कारण प्रशिक्षण कार्य बीच-बीच में [illegible]	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे [illegible] नहीं चाहती है ।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कंडिका 1.22.6.2	संस्थान के पास 31 मार्च 1988 को 1948 से 1986 के बीच प्राप्त किए गए 6 हल्के प्रशिक्षक शक्ति वायुयान और 3 विसर्पक थे । इनमें एक एक से दो वायुयान ही 1983-88 के दौरान प्रभावी उपयोग में रखे गये । इसी अवधि में 6 वायुयान (सितम्बर 1985 से एक और तीन विसर्पक) मार्च 1985 से 1 और जून 1986 से मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े रहे । उन्हें उपयोग में लाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है (दिसम्बर 1988) । उनके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । इन वायुयानों/ विसर्पकों के रख रखाव पर 24.43 लाख रुपये खर्च किए गए । वायुयानों और विसर्पकों के प्रभावी उपयोग के अभाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:	वर्ष 1983-84 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर विमानों की मरम्मति हेतु पार्ट-पुर्जों की अनुपलब्धता एवं अधिक प्रयास के बावजूद बिहार उड्डयन संस्थान में सक्षम अभियंता की सेवा अनुपलब्ध रहने के कारण यह स्थिति बनी रही ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

उड़ान घंटे

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी (कोष्ठक में प्रतिशतता)
1	2	3	4
		वायुयान	
1983-84	2,000	1,665	335 (17)
1984-85	2,500	1,171	1,329 (53)
1985-86	2,500	1,220	1,280 (51)
1986-87	2,500	642	1,858 (74)
1987-88	2,500	574	1,926 (77)
		विसर्पक (ग्लाइडर)	
1983-84	1,500	10	1,490 (99)
1984-85	1,500	288	1,212 (81)
1985-86	1,500	3	1,497 (100)
1986-87	1,500	187	1,313 (88)
1987-88	1,500	kqU:	1,500 (100)

जबकि वायुयान प्रशिक्षण में कमी 17 और 77 प्रतिशत के बीच रही, विसर्पक प्रशिक्षण के मामले में 91 से 100 प्रतिशत के बीच रही । विभाग ने तकनीकी कार्मिकों और चालू वायुयानों/विसर्पकों की अनुपलब्धता को कमी का कारण बताया (दिसम्बर 1988)।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कंडिका 1.22.6.3	मुजफ्फरपुर केन्द्र जो 1976 से पटना के मुख्य केन्द्र द्वारा अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया, नवम्बर 1985 से बन्द कर दिया गया । दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र जो राँची में 1978-79 से आरम्भ किया गया, अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ ही नहीं किया । मुजफ्फरपुर और राँची के दो केन्द्रों में वायुयानों/विसर्पकों को रखने के लिए विमानशाला का अभाव भी कार्य न करने के कारणों में एक था । अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि दो विमानशालाओं के, 3.09 लाख रूपये की लागत से (मुजफ्फरपुर के लिए) और 4.80 लाख रूपये की लागत से (राँची केन्द्र के लिए) निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः दिसम्बर 1977 और मार्च 1981 में सरकार द्वारा दी गई और कार्य को समाप्ति की तिथि दिए बिना कार्य भवन निर्माण विभाग को सौंपा गया। मार्च 1983 तक कुल व्यय 13.28 लाख रूपये (मुजफ्फरपुर: 6.36 लाख रूपये, राँची: 6.92 लाख रूपये) का हुआ परन्तु अभी तक (दिसम्बर 1988) कार्य अधूरा पड़ा रहा । दो विमानशालाओं के निर्माण पर 13.28 लाख रूपये खर्च करने के अतिरिक्त 12.43 लाख रूपये और (मुजफ्फरपुर: 1.10 लाख रूपये, राँची: 11.33 लाख रूपये) दो विसर्पकों (बिना इनकी उपयोग के पटना केन्द्र में पड़े रहे) की खरीद पर, प्रशिक्षण सामग्रियों, उपकरण आदि पर खर्च किए गए । इसके अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर केन्द्र में कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर, रख-रखाव खर्च और मशीनों के उपकरण आदि पर मार्च 1988 के अन्त तक 24.30 लाख रूपये खर्च किए गए । दो केन्द्रों पर इस प्रकार कुल 50.01 लाख रूपये का व्यय अभी तक (जुन 1988) पूरी तरह निष्फल पड़ा रहा ।	मुजफ्फरपुर में 1976 में बिना कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया । काल क्रम में हैंगर निर्माण के पश्चात नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ आरम्भ किया गया, परन्तु प्रशिक्षणार्थ विमान/प्रशिक्षक/अन्य तकनीकी कारणों, के अभाव में मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द करना पड़ा । राँची में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय 1976 में किया गया । परन्तु, राँची में हैंगर निर्माण, पदों की स्वीकृति, नियुक्ति एवं ग्लाईडर उपलब्धता के पश्चात् ग्लाईडर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । अब यह प्रशिक्षण केन्द्र बिहार विभाजन के पश्चात् झारखण्ड राज्य को सौंप दिया गया है । योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर केन्द्र के लिए वर्ष 1977-78 से 1988-89 तक की अवधि में कुल-41,01,282/-रूपये एवं जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 9,89,113/- रूपये व्यय हुआ है जो संचालित केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य को चलाने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जाना अत्यावश्यक था । इस अवधि में योजनान्तर्गत कुल-100,00,000.00 रूपये का उपबंध था। । विवरणी निम्नानुसार है :	भविष्य में पैसे का दुरूपयोग न हो इस निर्देश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.

वर्ष	अन्य क्षेत्रीय उपयोगिता आवंटन	अन्य क्षेत्रीय उपयोगिता व्यय	जन जाति क्षेत्रीय उपयोगिता आवंटन	जन जाति क्षेत्रीय उपयोगिता व्यय
1977-78	400000.00	329557.00		
1978-79	200000.00	200000.00		
1979-80	500000.00	2574.00		
1980-81	600000.00	600000.00		
1981-82	800000.00	800000.00		
1982-83	800000.00	799875.00		
1983-84	200000.00	44497.00	600000.00	166000.00
1984-85	522056.00	166906.00	477944.00	477944.00
1985-86	800000.00	800000.00	200000.00	199780.00
1986-87	500000.00	241641.00	600000.00	42978.00
1987-88	1400000.00	56132.00	1600000.00	61311.00
1988-89	100000.00	60700.00	1100000.00	41100.00
	6822056.00	4101880.00	4577944.00	989113.00

1981-82 से मुख्य इकाइयों में किया गया व्यय

		अन्य क्षेत्री उपयोगिता		जन जाति क्षेत्रिय उपयोगिता
1981-82	हैंगर निर्माण, मुजफ्फरपुर	125000.00		
	हैंगर निर्माण, राँची			169000.00
	वायुयान क्रय	464720.00		
	संधारण	28105.00		
	निर्देशन एवं प्रशासन	13175.00		
	कुल	631000.00		169000.00
1982-83	ग्लाइडर क्रय	588600.00		
	राँची हैंगर निर्माण			100000.00
	मुजफ्फरपुर हैंगर निर्माण	44000.00		
	निर्देशन एवं प्रशासन	67275.00		
	कुल	699875.00		100000.00

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.

वर्ष	अन्य क्षेत्रीय उपयोगिता		जन जाति क्षेत्रीय उपयोगिता	
1983-84	निर्देशन एवं प्रशासन	44497.00	रांची हैंगर निर्माण	166000.00
1984-85	निर्देशन एवं प्रशासन	13602.00	ग्लाईडर संधारण	257400.0
	संधारण	153304.00	तेल क्रय	127000.00
			पि क्रय	93543.00
	कुल	**166906.00**	कुल	**477944.00**
1985-86	संधारण	137233.0	संधारण	45500.00
	हैंगर निर्माण, मुजफ्फरपुर	50000.00	हैंगर निर्माण, रांची	50000.00
	वायुयान क्रय	535000.00	निर्देशन एवं प्रशासन	104780.00
	निर्देशन एवं प्रशासन	77767.00		
	कुल	**800000.00**	कुल	**199780.00**
1986-87	संधारण	184861.00	संधारण	35200.00
	निर्देशन एवं प्रशासन	56780.00	निर्देशन एवं प्रशासन	7778.00
	कुल	**241641.00**	कुल	**42978.00**
1987-88	निर्देशन एवं प्रशासन	56132.00	संधारण	61311.00
1988-89	निर्देशन एवं प्रशासन	60700.00	संधारण	41100.00

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका का विवरण एवं संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.22.7	1983-84 से 1987-88 तक वास्तविक उड़ान घंटा लागत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 325 रूपये (1ली अक्तुबर 1986 से बढ़ाकर 398 रूपये) के प्रमाणिक स्तर के विरूद्ध 921 रूपये से 1,671 रूपये के बीच रहा । भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्त की तुलना मे उच्चतर उड़ान घंटा लागत के कारण 1983-88 के दौरान 75.10 लाख रू0 का अतिरिक्त व्यय किया गया । संस्थान द्वारा वायुयानों के कुल उड़ान घंटों में क्रमशः कमी, स्थापना वृद्धि और वायुयानो के अन्य रख-रखाव लागत में अतिशय वृद्धि, उच्चतर उड़ान घंटा लागत का कारण बताया गया (दिसम्बर 1988) ।	किसी भी फ्लाइंग क्लब मे भारत सरकार द्वारा प्रति घंटा निर्धारित संचालन खर्च से अधिक खर्च किया जाता है । उनके द्वारा जो विभिन्न फ्लाइंग क्लबों को प्रति घंटा संचालन खर्च के विरूद्ध वित्तीय सहायता दी जाती है, यह बहुत ही कम होता है । फ्लाइंग क्लबों द्वारा प्रति वर्ष महानिदेशक, सिविल विमानन, भारत सरकार को अंकेक्षित लेखा भेजा जाता है और उसकी सहमति के पश्चात् ही उनके द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है । उक्त अंकेक्षित लेखा मे व्यय की पूरी विवरणी उपलब्ध रहती है और उनके द्वारा भी इसकी सम्पुष्टि की जाती है । अतः, बिहार उड्डयन संस्थान मे प्रति घंटा संचालन खर्च के आधार पर वास्तविक खर्च ही किया गया है । उड्डयन संस्थान के सरकारीकरण के पश्चात् कुछ वर्षों तक रिक्त पदों के भरने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगाया गया था । बिहार उड्डयन संस्थान मे यथा उक्त कंडिका 1.22.4 (1) मे वर्णित स्थिति के अतिरिक्त संस्थान मे उपलब्ध व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही प्रशिक्षणार्थियो के नामांकन हेतु कार्रवाई की जाती है । अर्थात, अगर उपलब्ध व्यवस्था मे एक निश्चित संख्या मे प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध रहते है और तद्नुसार प्रशिक्षणार्थियो की संख्या रहती है, तो नये प्रशिक्षणार्थियों का चयन हेतु स्वतः कोई अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नही है ।	समिति निदेश देती है कि विभाग सभी फलाईंग कल्बो का खर्च क्या है? भारत सरकार मे कितने फलाईंग कल्ब है और उसका खर्च क्या है? समिति को उसकी सुस्पष्ट स्पष्टीकरण सरकार से 3 माह के अन्दर प्रतिवेदित कर दे ।
	1.22.8. ईंधन का अधिक उपयोग	विमानों मे, महानिदेशक सिविल विमानन द्वारा निर्धारित सिद्धान्तो से अधिक ईंधन के उपयोग के विषय मे भारत के नियंत्राण महालेखा परीक्षक के 1982-83 (सिविल) प्रतिवेदन की कंडिका 3.6(6) मे दिया गया है । 1983-88 के दौरान इसी तरह के अधिक ईंधन का उपयोग के फलस्वरूप 1.88 लाख रू0 का अतिरिक्त व्यय के उदाहरण पाये गये । संस्थान ने ईंधन के अधिक उपयोग के कारणों का पता नहीं लगाया ।	तदैव	तदैव

वर्ष 1987-88

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1	2.	3.	4.	5.
	1.22.9. मूल्यांकन	संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवकों मे उड़ान प्रवृति को उत्साहित करने और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने का था, परन्तु कहां तक अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस मामले की सूचना सरकार को अगस्त 1988 मे दी गई थी परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 1999) ।	संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवकों में उड़ान प्रवृति को उत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में यह विदित है कि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार उड्डान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का जो उल्लेख किया गया है , वह स्वतः स्पष्ट करता है कि संस्थान द्वारा उड़ान प्रवृत्ति को उत्साहित करने का कार्य किया गया है इस पृष्ठ भूमि में यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षित विमान चालक/ विमान अभियंता अभियंता, इंडियन एयर लाईन्स / एयर इंडिया एवं अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न विमान संगठनों में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं उच्च पदों पर कार्यरत हैं । उपरोक्त सभी कंडिकाओं के संबंध में विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 से ज्ञापित ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1989-90

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	2.2. विनियोग लेखा परीक्षा परिणाम 2.2.2 विनियोग	जनवरी 1990 में 27 मामलों में (परिशिष्ट 2) प्राप्त की गयी 368.01 करोड़ रु0 की अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई । 10 और मामलों में (परिशिष्ट 3) 238.09 करोड़ रु0 की अनुपूरक अनुदान / विनियोजन के विरुद्ध केवल 111.29 करोड़ रु0 की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हुई । प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रु0 से अधिक थी । परिशिष्ट -3 ऐसे मामले जिनमें अनुपूरक धनव्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई (संदर्भ:कंडिका:2.2 : पृष्ठ:21) अनुदान/विनियोग की सं0 और नाम अनुपूरक/ अनुदान विनियोग बचत 22. सिविल विमानन 0.14 0.71	अनुपूरक -2 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सिविल विमानन के लिए उपबंधित राशि में से 0.71 करोड़ रु0 की बचत हुई है । उल्लेखनीय है कि बिहार उड्डयन संस्थान के लिए योजना एवं गैर योजना मद से उक्त खर्च में उपबंधित राशि के विरुद्ध कुल लगभग 0.42 करोड़ रु0 की बचत से सम्बन्धित अभिलेख विभाग में उपलब्ध है । 0.65 करोड़ रु0 राजकीय वायुयान संगठन के निमित्त राशि से बचत हुई है । अर्थात, सिविल विमानन मद में कुल 1.07 करोड़ की बचत हुई है । उपरोक्त कुल लगभग 1.07 करोड़ रु0 की बचत 1989-90 वर्ष में इसलिए हुई है कि राजकीय वायुयान संगठन एवं बिहार उड्डयन संस्थान के निमित्त संचालन कार्य तथा विकास कार्य के क्रम में जिन सामग्रियों का क्रय किया जाना था, उसे नहीं किया जा सका । प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की छाया-प्रति संलग्न है (परिशिष्ट - 1) उपरोक्त सभी कंडिकाओं के संबंध में विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 से प्राप्त।	आवश्यकता के अनुरूप बजट बनाया जाय । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1990-91

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	2.2 2.2.2	Results of Appropriation Audit	- वर्ष 1990-91 में राजकीय वायुयान संगठन के लिए "2070" शीर्ष के अन्तर्गत मशीन उपकरण के क्रय की आवश्यकता के आलोक में अनुपूरक अनुदान से 31.93 लाख रूपये लिया गया था और अन्य मद में "2070" के अन्तर्गत कुल बचत 11.39 लाख रूपये का है ।	समिति की अपेक्षा है कि कुल बचत 11.39 लाख की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करा दे ।
	2.8	Reconciliaition of Departemntal fugures with those of accounts office during 1990-91	- वर्ष 1990-91 में बिहार उड्डयन संस्थान के लिए गैर योजना मद में 48 लाख रूपये एवं योजना मद में 20 लाख रूपये का उपबंध था, जिसमें से क्रमशः 22.64 लाख रूपये एवं 17.00 लाख रूपये व्यय हुआ है । शेष राशि 28.36 लाख रूपये प्रत्यर्पण किया गया है । प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट - 2)। राजकीय वायुयान संगठन के लिए गैर योजना मद में 111.93 लाख रूपये का उपबंध था जिसमें से 100.54 लाख रूपये का व्यय हुआ । अतः, "2070" शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय वायुयान संगठन के लिए कुल 11.39 लाख रूपये की बचत हुई । प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है । सिविल विमानन विभाग में कुल व्यय 140.18 लाख रूपये में से 36.00 लाख रूपये का महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से सत्यापन इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि उस समय व्यय से सम्बन्धित सभी अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं था । विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 से ज्ञापित ।	समिति इस निदेश के साथ कि लेखा मिलान में भूल न करें और इसे तत्परता से लेने के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1991-92

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	2.2.2	जनवरी 1992 के 28 मामलों में (परिशिष्ट-2) प्राप्त की 156.97 करोड़ रूपये की अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई । 3 और मामलों के (परिशिष्ट-3) 490.94 करोड़ ।	"3053" शीर्ष के अन्तर्गत बिहार उड्डयन संस्थान के लिए वर्ष 1991-92 में गैर योजना अन्तर्गत 50.13 लाख रूपये एवं योजना के अन्तर्गत 26.00 लाख रूपये तथा 23.735 लाख खर्च किया गया । उसी वर्ष में "2070" शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय वायुयान संगठन के लिए 517.33 लाख रू0 के उपबंध के विरूद्ध 417.638 लाख रूपये का व्यय हुआ । "3053" के अन्तर्गत गैर योजना मद में 28.885 लाख रू0 एवं योजना मद में 2.265 लाख रू0 तथा "2070" शीर्ष के अन्तर्गत 99.692 लाख रू0 की बचत की राशी प्रत्यर्पित की गयी । अर्थात नागर विमानन के अन्तर्गत 1991- 92 वर्ष में कुल बचत की राशि 130.842 लाख रू0 प्रत्यर्पित की गई । संबन्धित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन संलग्न है । (परिशिष्ट 2)	विभागीय उत्तर एवं दिनांक 3/2/02 को हुई बैठक के आलोक में समिति निदेश देती है कि इसकी समीक्षा कर 3 माह में सूचित करें ।

वर्ष 1992-93

क्रमांक	कंडिका क्रमांक	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	3.2.2. 12 नागरिक उड्डयन व्यवस्था	परिशिष्ट – 2 ऐसे मामले जिसमे अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई । अनुपूरक अनुदान/ विनियोग-30.83 बचत – 62.38	– वर्ष 1992-93 मे सिविल विमानन के लिए अनुपूरक अनुदान के रूप मे कोई राशि की निकासी नहीं की गई है । उक्त वर्ष मे सिविल विमानन के लिए कुल उपबंध 3,76,05,500.00 रूपये की राशी का था, जिसके 1,08,89,457.00 रूपये का प्रत्यर्पण किया गया है । प्रत्यर्पण का मुख्य कारण यह है कि वेतनादि ईकाई मे पदो की स्थिति के कारण तथा अन्य ईकाई मे निकासी पर प्रतिबंध के कारण खर्च नहीं किया जा सका । प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है । विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17 दिनांक 10.01.2003 से ज्ञापित (परिशिष्ट - 3)।	विभागीय स्पष्टीकरण एवं 13.02.03 को हुई बैठक के आलोक मे समिति इस निदेश के साथ की भविष्य मे विभाग बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करे । इसी के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

वर्ष 1993-94

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	2.2.2 परिशिष्ट – 1	ऐसे मामले जिनमे अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई । .2- नागरिक विमानन भारित अनुपूरक अनुदान/ विनियोग-3.00 बचत -39.14	– सिविल विमानन के लिए 1993-94 वर्ष के अनुपूरक धन व्यवस्था के एवज में कोई राशि की निकासी नही गई है । जहाँ तक 1993-94 वर्ष मे कुल उपबंधित राशि से बचत का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि उक्त वर्ष मे कुल उपबंधित राशि 3,75,60,000.00 मे से 1,09,81,121.00 का प्रत्यर्पण किया गया । पुनः 94 लाख रूपये वेतनादि मद मे तथा 12 लाख रूपये योजना मद मे हवाई अड्डा का निर्माण/हैंगर निर्माण मे खर्च नही होने के कारण तथा अन्य ईकाई मे खर्च नही होने के कारण कुल - 1,09,81,121.00 प्रत्यर्पित किया गया । सुगम निदेशार्थ प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की छाया-प्रति संलग्न है । विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 से ज्ञापित (परिशिष्ट – 3)। (परिशिष्ट - 3 अ)	भविष्य मे एग्जेगरेटेड डिमांड की बजट मे प्रोवीजन नही करें । इस निदेश के साथ इस कंडिका को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1995-96

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कंडिका संख्या</th><th>आपत्ति</th><th>विभागीय स्पष्टीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td><td>5.</td></tr>
<tr><td></td><td>2.2
2.2.2</td><td>विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम
परिशिष्ट - 2
ऐसे मामले जिनमें अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई।
22 -- सिविल विमानन
अनुपूरक अनुदान/विनियोग - 6.50
बचत - 55.48</td><td>
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>शीर्ष</th><th>अनुपूरक अनुदान</th><th>अनुपूरक में बचत</th><th>कुल बचत</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>"3053" बिहार उड्डयन संस्थान</td><td>5.00 (अनुरक्षण अनुदान)</td><td>1.33</td><td>29.18</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>"3053" बिहार उड्डयन संस्थान</td><td>1.50 (विद्युत एवं दूरभाष)</td><td>1.50</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>"2070" राजकीय वायुयान संगठन</td><td>1.84 (विद्युत एवं दूरभाष)</td><td></td><td>86.61</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>"2070" राजकीय वायुयान संगठन</td><td>12.67 (मशीन एवं उपकरण)</td><td>0.16</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>120.01</td><td>2.99</td><td>115.79</td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त के आलोक में सिविल विमानन कार्य के लिए 1995-96 वर्ष में अनुपूरक अनुदान के रूप 121.01 लाख रुपये लिया गया है। खास मद के लिए अनुपूरक मद से ली गयी राशि के विरूद्ध 117.02 रु0 व्यय हो चुका है। अनुपूरक अनुदान में हुई बचत का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोषागार द्वारा निकासी की स्वीकृति नहीं दिया जाना है।
1995-96 वर्ष में सभी ईकाईयों के अन्तर्गत कुल उपबंधित राशि 512 लाख रुपये के विरूद्ध वेतनादि एवं अन्य ईकाईयों में बचत होने के कारण कुल 115.79 लाख रुपये का प्रत्यर्पण किया गया। प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की छाया प्रति सुगम निर्देशार्थ संलग्न है। विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 से ज्ञापित। परिशिष्ट - 4, 4(अ) एवं 4(ब).</td><td>भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इस निर्देश के साथ इस कंडिका को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।</td></tr>
</table>

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1	कंडिका 3.3 सरकारी वायुयानों हेलिकॉप्टरों का परिचालन	क सरकारी वायुयान का उपयोग राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार, मंत्रियों, राज्य/ उपमंत्रियों, बिहार विधान सभा/परिषद के अध्यक्ष/सभापति, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय उद्देश्य के लिए किया जा सकता था जिनका वेतन 18000/- रूपये प्रतिमाह से कम नहीं हो ।	सरकारी विमानों के उपयोग के लिए नियमावली-1040/67/936/एफ0 दिनांक 23 सितम्बर 1968 के आलोक में सरकारी वायुयानों का उपयोग राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, बिहार विधान मंडल के किसी सदन के पिठासीन पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जिनका विशेष वेतन सहित वेतन 1350/- रूपये से कम नहीं हो ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
		ख) राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार, मुख्यमंत्री, राज्य/उप-मंत्रियों, बिहार विधान सभा/परिषद के अध्यक्ष/सभापति अपनी निजी यात्रा के लिए भुगतान कर सरकारी वायुयान का उपयोग कर सकते थे बशर्ते कि शासकीय यात्रा के लिए संबद्ध वायुयान का कोई आवश्यकता न हो । विभाग ने 1968 में युग्म इंजिन विमान के लिए 7.50 रूपये प्रति नॉटिकल माईल एवं एकल इंजिन विमान के लिए 6.00 रूपये प्रति नॉटिकल माईल निजी उपयोग के लिए वसूली दर निर्धारित किया । इन दरों का पुनरीक्षण तक नहीं किया गया है	अब सरकारी वायुयान का उपयोग शासकीय कर्तव्य पर यात्रा से भिन्न रूप में किया गए तब उक्त नियमावली के अनुसार उसके उपयोग के लिए युग्म इंजन विमान हेतु 7.50 रूपये प्रति मील एवं एकल इंजन विमान के लिए 6 रूपये प्रति मील की दर से राशि विभाग को भुगतेय होगी । दरों के पुनरीक्षण के संबंध में संकल्प संख्या-एफ0सी0 07/57-93-66 दिनांक 04.02.1998 द्वारा निर्गत हो गया है (प्रतिलिपि संलग्न) । संचिका संख्या-सि0वि0वि0-2-408/97 के माध्यम से सरकारी वायुयान के उपयोग के लिए संशोधित नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है जिसपर अन्तिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की सम्भावना है ।	विस्तृत नियमावली बनाकर सरकुलेट करे ताकि उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे परिचित हों । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
		ग) सरकारी उड़ान के क्रम में यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो उसका उपयोग गण्यमान्य व्यक्तियों के परिवार के किसी सदस्य द्वारा 0.50 रूपये प्रति नॉटिकल माईल की दर से अग्रिम भुगतान करने पर किया जा सकता है तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रति सीट 1.00 रूपये प्रति नॉटिकल माईल के अग्रिम भुगतान पर उपयोग किया जा सकता है ।	सरकारी वायुयानों के उपयोग के लिए व्यवहृत नियमावली में ऐसा ही प्रावधान रखा गया है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए संशोधित नियमावली के प्रारूप में इस तरह का प्रावधान प्रस्तावित नहीं है ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है
		घ) निजी कार्यों में सरकारी विमान का अन्य व्यक्तियों द्वारा शुल्क के भुगतान पर एवं राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार एवं मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री के विशेषादेश पर ही उपयोग की अनुमति प्रदान की जा सकती है ।	वर्तमान में निजी कार्यों के लिए सरकारी विमानों का अन्य व्यक्तियों द्वारा शुल्क के भुगतान के आधार पर विभागीय मंत्री के आदेशोपरान्त उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है । परन्तु यह परम्परा भी वर्तमान में बन्द कर दी गई है ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कंडिका 3.3 सरकारी वायुयानों हेलिकॉप्टरों का परिचालन ।	ङ) केवल राज्यपाल एवं मंत्रियों को लाने के लिए खाली विमान उड़ान भर सकता है ।	सरकारी वायुयान के उपयोग के लिए नियमावली 1968 में यह प्रावधान है कि सामान्यतः राज्यपाल एवं मंत्रियों को लाने के लिए ही खाली विमान उड़ान भर सकता है, परन्तु खाली विमान को किसी विशिष्ट व्यक्ति को बाहर से लाने हेतु सक्षम अधिकारी के आदेशोपरान्त ही भेजा जा सकता है ।	विभाग नियमावली बनाकर उसे सख्ती से लागू करें । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
		च) सितम्बर 1982 में सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों के अनुसार आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, हथुआ, छपरा, बिहटा, बेगुसराय जैसे स्थानों, जहाँ की यात्रा कार से आसानी से की सकती हो, को उड़ानों पर रोक लगा दी गयी ।	आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, हथुआ, छपरा, बिहटा, बेगुसराय जैसे स्थानों पर कोई महत्वपूर्ण कारण एवं विशिष्ट व्यक्तियों के समयाभाव के कारण से ही विमान द्वारा यात्रा की जाती है । खासकर माननीय राज्यपाल एवं राज्य/केन्द्र मंत्रीगण द्वारा खास-खास अवसर पर ही इस तरह की यात्रा की जाती है । वैसे सिविल विमानन विभाग के स्तर पर ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है जिसके अनुसार उल्लेखित स्थानों पर राजकीय वायुयान का उपयोग वांछित नहीं है । आपत्ति सूची में सितम्बर, 82 में सरकार का निर्णय उल्लिखित किया गया है, जबकि यह विभाग वित्त विभाग के अधीन था । अतः, उक्त निर्णय की जानकारी इस विभाग को प्राप्त नहीं है ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।
		छ) ऐसे स्थानों की यात्राओं के लिए, जहाँ प्रतिदिन इंडियन एयरलाइन्स सेवा और जहाँ के लिए रात्रि-रेल-सेवाएँ उपलब्ध हों, सरकारी विमान से यात्रा नहीं की जा सकती थी ।	वैसे स्थानों की यात्राओं के लिए जहाँ प्रतिदिन इण्डियन एयर लाईन्स सेवा उपलब्ध हो वहाँ सरकारी विमान से यात्रा किए जाने का व्यवहार ऐसी परिस्थिति में रखा है कि इण्डियन एयर लाईन्स या रेल यात्रा के निर्धारित समय से भिन्न समय पर विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन निर्धारित रहता है । वर्ष 1977 में प्रति घंटा परिचालन की दर को संलग्न आदेश संख्या-ए०ए०पी०-7-57/93-66 दिनांक 04.02.98 द्वारा पुनः संशोधित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) ।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कंडिका 3.3.2. वाह्य स्थलों से खाली उड़ानें :-	सरकारी विमानों के उड़ान संबंधी संधरित नियमानुसार राज्यपाल, राज्यपाल के सलाहकार, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को लाने के लिए ही मुख्यालय से वाह्य स्थलों के लिए विमान खाली उड़ान भर सकता है । इसके विपरीत 1992-93 से 1996-97 की अवधि में विमान को राज्य के अन्तर्गत विभिन्न वाह्य स्थलों एवं मुख्यालय से बाहर भी, साथ-ही-साथ एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए बारम्बार खाली उड़ानें बेरोक-टोक भरी गयीं । संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 14 मार्च 1996 को भभुआ में जल संसाधन मंत्री को छोड़ने के बाद डचेज-76 विमान भभुआ से पटना खाली लौटा और पुनः पटना से भभुआ उन्हें वापस लाने गया । 28 अप्रैल 1995 को बैरन-55 विमान लघु-सिंचाई मंत्री को मधुबनी उन्हें वापस लाने के लिए खाली उड़ान भरा परन्तु उसी दिन विमान मधुबनी से पटना पटना खाली लौटा क्योंकि मंत्री विमानपत्तन पर नहीं आ सके थे । अतः एक मंत्री द्वारा मधुबनी के लिए किए गए एक यात्रा के परिणामस्वरूप तीन लगातार खाली उड़ानें भरनी पड़ी । 22 अक्टूबर 1993 को डचेज-76 विमान सिंचाई मंत्री को भभुआ में छोड़ने के बाद भभुआ से पटना के लिए खाली उड़ान भरा । 24 अक्टूबर 1993 को यह विमान पटना से भभुआ उन्हें वापस लाने हेतु खाली गया परन्तु विमान खाली लौटा क्योंकि मंत्री नहीं आए । पुनः उन्हें पटना लाने हेतु 25 अक्टूबर 1993 को उसी विमान ने पटना से भभुआ खाली उड़ान भरा और पटना से भभुआ के बीच में मंत्री द्वारा किए गये दो यात्राओं (एक जाने व एक आने हेतु) के परिणामस्वरूप चार उड़ानें खाली भरनी पड़ी । 1992-97 की अवधि में सरकारी विमानों के इस तरह के दुरूपयोगों के अनेक उदाहरण थे । चार सरकारी विमानों के कुल उड़ान अवधियों का खाली उड़ान अवधि से प्रतिशतता 13.7 से 30.6 था । वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में कुल 85.95 लाख रूपये के (1991 के परिचालन दर से) अमितव्ययी व खर्चीली खाली उड़ानें भरी गयीं । विभाग ने कहा कि विमान को निर्दिष्ट घंटों से अधिक रोकने का प्रावधान नहीं था (1968 के नियम की धारा 5) और इसके कारण विमान को पटना से बाहर रात्रि विश्राम में रोकने का प्रचलन नहीं था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकारी उड़ानों के सन्दर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और 1992-93 से 1996-97 की अवधि में सभी विमानों द्वारा पटना से बाहर (राज्य के अन्तर्गत एवं बाहर) रूकने के 67 उदाहरण उपलब्ध थे । उदाहरण स्वरूप किंग एयर सी-90 राँची, दिल्ली, कलकत्ता एवं जमशेदपुर में क्रमशः 31 जनवरी 1993, 2 अप्रैल 1994, 31 अक्टूबर 1994 तथा 10 अक्टूबर 1995 को रूका था । बैरन-55 बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गोरखपुर में क्रमशः 16 जून 1993, 5 दिसम्बर 1993, 17 अक्टूबर 1993 एवं 7 नवम्बर 1993 को रूका था ।		विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त है कंडिका में दर्शाये गये आपत्ति के आलोक में समिति निदेश देती है कि विभाग कंडिका के अनुरूप सुस्पष्ट एवं यथोचित प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर समिति को उपलब्ध करा दें

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	(ड) विमान के उड़ान का उद्देश्य दर्ज नहीं होने के कारण विमान के दुरुपयोग की संभावना :	वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के उड़ान [illegible] के [illegible] में पाया गया था कि उड़ान का उद्देश्य न तो [illegible] बुक [illegible] ही यात्रा कार्यक्रम पृष्ठ में ही दर्ज था । परिणामस्वरूप [illegible] सरकारी उद्देश्य के लिये उपयोग में अन्तर करना संभव नहीं [illegible] निजी [illegible] के लिये विमान के दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता । 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले पाँच वर्ष की अवधि में [illegible] के चार विमानों ने 4601.55 घंटे उड़ान भरे जिसमें कुल 4.08 करोड़ [illegible] का परिचालन व्यय सन्निहित था (1991 में निर्धारित दर के आधार पर) । विभाग ने कहा (जून 1997) कि हवाई उड़ानों की जाँच की जा रही है ताकि निजी उपयोग में लाने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध [illegible] किया जा सके । यद्यपि विमान के निजी उपयोग में लाये जाने के लिए दावा नहीं किए जाने का कारण बताने में विभाग असफल रहा । यह भी पाया गया कि यद्यपि सरकार द्वारा निजी उपयोग के [illegible] के लिए दावा नहीं किया गया था एक राजनैतिक पार्टी [illegible] द्वारा 13.04 लाख रुपये (एक लाख रुपये नवम्बर 1995 में एवं [illegible].04 लाख रुपये दिसम्बर [illegible]93 में) विमान के निजी उपयोग हेतु जमा किया गया था । विभाग यह नहीं बता सका कि जमा राशि [illegible] के किन निजी उपयोग से संबंधित थी ।	सामान्यतः राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टर के आरक्षण के लिए यात्रा का उद्देश्य उल्लेखित किया जाता है । भूलवश अगर [illegible] रूप में इसका उल्लेख अधियाचना पत्र में नहीं हो तो महामहीम राज्यपाल/राज्यपाल के सलाहकार, मंत्रिगण, राज्य मंत्री, उप मंत्री की यात्राओं के कारण में सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में राजकीय यात्रा माना जाता है । वैसे अधियाचक पत्र में भी यात्रा का उद्देश्य भी उल्लेखित रहता है । किसी भी मंत्री या अन्य प्रमुख व्यक्तियों को जब कहीं विमान से छोड़ा जाता है तो उन्हें विमान से ही वापस लाने का प्रबंध भी किया जाता है । किसी विशेष परिस्थिति में यह भी संभव है कि संबंधित मंत्री महोदय के कोई अन्य व्यस्तता अथवा अपरिहार्य कारण से निर्धारित वापसी दिन में हवाई अड्डा पर अनुपस्थित रहने से विमान को खाली भी आना पड़ा होगा । सामान्यतः जिस स्थान पर विमान की सुरक्षा की सुव्यवस्था तथा तकनीकी सहायता की व्यवस्था रहती है यथा राँची, कलकत्ता, दिल्ली, जमशेदपुर, मुम्बई जैसे स्थानों पर विमान का रात्रि ठहराव में कोई कठिनाई नहीं है । विशेष परिस्थिति में बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गोरखपुर में किसी विशिष्ट कारण यथा कोई स्नैग, खराब कंडिशन, स्थानीय स्थिति आदि से वर्षों में कुछेक दिन विमान को रोका गया होगा ।	विभाग सम्पूर्ण कंडिकाओं को मद्देनजर रखते हुए विस्तृत नियमावली बनावे । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	(ii) गैर हकदार व्यक्तियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए विमान का दुरुपयोग :	31 मार्च 1997 को समाप्त हुए पाँच वर्षों तक के उड़ान पंजी के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि सरकार के 4 विमानों का उपयोग वैसे व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो सरकारी विमान द्वारा यात्रा करने के हकदार नहीं थे। उदाहरणस्वरूप, श्रीमती गिरजा पाण्डे, श्री बी. एन. पाण्डे, श्री गंगा कुमार, श्री पी. पी. राव, वकील इत्यादि द्वारा सरकारी विमान का उपयोग किया गया। इसके अलावा, राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा भी राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी विमान का उपयोग किया गया। वर्ष 1968 के नियम के अनुसार बिना सक्षम पदाधिकारी के विशेष आदेश के शुल्क भुगतान के बावजूद भी डा0 जगन्नाथ मिश्र, श्री [illegible] यादव, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, श्री [illegible] मण्डल, श्री कृष्णा पराण्डी इत्यादि जो इस सरकारी विमान के उपयोग के हकदार नहीं थे, ने सरकारी विमान का उपयोग किया। शुल्क का ह्रास किये जाने का सक्षम पदाधिकारी का कोई आदेश भी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। निजी उपयोग के ऐसे शुल्क उनसे वसूली योग्य हैं। उड़ान पंजी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा 3 मार्च 1997 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान 67.30 उड़ान घंटों में कुल 77 उड़ान भरे परन्तु ऐसे हवाई उड़ानों का भाड़ा 5.54 लाख रुपये (1991 के परिचालन दर के अनुसार) की वसूली का दावा उनसे नहीं किया गया था। विभाग ने कहा (जून 1997) कि यात्राओं का जाँच, भुगतान के लिये विपत्र प्रस्तुत करने के लिये किया जा रहा था।	सिविल विमानन विभाग को जब से मंत्रिमण्डल सचिवालय की संकल्प संख्या-सी0एफ0 1/ए0 1-101/96-1507 दिनांक 22.05.1996 द्वारा राजकीय वायुयान/हेलीकॉप्टर की जिम्मेवारी दी गई है तब से विभिन्न स्थानों एवं गैर हकदार व्यक्तियों के लिए राजकीय वायुयान का उपयोग सक्षम स्तर पर आदेश होने के उपरान्त ही किया गया है। निजी उपयोग अथवा कुटुम्ब सहित जो उड़ान किये जाते हैं, उसके विरुद्ध नियमावली में निर्धारित दर के आलोक में बकाया राशि की वसूली भी की गई है और इस तरह की उड़ान के लिए वसूली की जाती रहेगी। आपत्ति में यह उल्लिखित ही है कि जनता दल पार्टी द्वारा उक्त राशि को जमा की गई थी। स्पष्टतः यह पार्टी के काम के लिए किया गया था, जिसे "निजी उपयोग" की संज्ञा दी गई है। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा किसी पार्टी का चुनाव के अवसर पर भुगतान के आधार पर भी राजकीय वायुयान/हेलीकॉप्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैर हकदार व्यक्तियों द्वारा जनहित में सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त कर राजकीय वायुयान का उपयोग किया जाता है। यथा [illegible] की स्थिति, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कानून-व्यवस्था में कार्य करने हेतु विशेष परिस्थिति में साथ लाने हेतु, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट मामले के निष्पादनार्थ आदि के अवसर पर राजकीय वायुयान/हेलिकॉप्टर का उपयोग जनहित में वांछित है। इस तरह की यात्रा हेतु संचालन खर्च के आधार पर 5.54 लाख खर्च से संबंधित आपत्ति अपेक्षित नहीं है।	विभाग विस्तृत नियमावली बनाकर और उपयोग करने वाले सभी सचिव को नियमावली सरकुलेट कर दे। ताकि उपयोग करने वाले व्यक्ति उसे परिचित हों। इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	(iv) मंत्रियों द्वारा मुख्यतः गृह स्थल/निर्वाचन क्षेत्र के लिए उड़ान भरे गये :	उड़ान बही के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान तीन मंत्रियों द्वारा 334 हवाई उड़ानों में 212 (63 प्रतिशत) उड़ानें गृह शहर/निर्वाचन क्षेत्र जाने के लिए हवाई उड़ान भरे गये । विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित था :	सिविल विमानन विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर अनुमोदन के पश्चात् ही विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा हेतु राजकीय वायुयान/हेलिकॉप्टर द्वारा उपयोग किया जाता है । मंत्रियों द्वारा गृह स्थल/निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा उक्त क्षेत्र में राजकीय कार्य के प्रयोजन से ही विमान द्वारा की जाती है ।	विभागीय अपनी नियमावली बना दें और वायुयान के आवंटन हेतु उस नियमावली का सख्ती से पालन करें । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रम सं.	मंत्रियों का नाम	विभाग	31 मार्च 1997 को समाप्त हुये दो वर्षों के दौरान कुल हवाई यात्रा (संख्या)	एक स्थल/शहर की यात्रा (संख्या)	यात्रा का विवरण
1.	श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल	खान	147	95	पटना-सहरसा-पटना
2.	श्री जगदानन्द सिंह	जल संसाधन	118	77	पटना-भभुआ-सुआरी-पटना
3.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव	शहरी विकास	69	40	पटना-सहरसा-पटना
	योग		334	212	

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	(v) सरकारी विमानों से मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अन्य व्यक्तियों की यात्रा ।	उड़ान पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि विमान के खाली सीटों पर मंत्रियों के परिवार के सदस्य भी साथ गये और अवसरों पर मंत्रियों के परिवार के सदस्य पूरे विमान का उपयोग किये । उदाहरणस्वरूप, 11 सितम्बर 1995 को पटना से सहरसा के लिए श्री मयंक टेकरीवाल एवं श्री मिहिर टेकरीवाल, खान मंत्री के संबंधी किंग एयर सी 90 विमान का पूर्ण उपयोग किये । मुख्य मंत्री के परिवार द्वारा 3 जुलाई 1995 को पटना से जमशेदपुर और मुख्यमंत्री के अभ्यागतों द्वारा 13 अप्रैल 1995 को राँची से पटना, 17 अप्रैल 1995 को पटना से राँची और 23 जून 1995 को राँची से पटना, पटना से गया और गया से पटना के लिये उपयोग किया गया । विमान का शुल्क 0.50 लाख रुपये (1991 के दर पर) की वसूली उनसे नहीं की गयी थी । इसके अलावा बहुत अधिक मामलों में मंत्रियों के विमान में यात्रा के दौरान अन्य व्यक्ति साथ गये थे जिनका नाम एवं पहचान उड़ान पंजी में दर्ज नहीं था । मंत्रियों के साथ खाली जगहों पर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या मात्रा दर्ज की गई थी । यह अनियमित था क्योंकि निजी व्यक्तियों से उड़ान शुल्क वसूली किए जाने में यह बाधा उपस्थित करता था । 31 मार्च 1997 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान मुख्यालय से विभिन्न जगहों पर आने और जाने के दौरान सरकारी विमान में विभिन्न मंत्रियों के साथ 2594 (लगभग) व्यक्ति खाली सीटों पर साथ थे । 1 रुपया प्रति न्युटिकल माइल प्रति व्यक्ति (1968 में निर्धारित) की दर से हवाई यात्रा शुल्क की गणना करने पर कुल 1.87 लाख रुपये होता था । हवाई यात्रा शुल्क का पुनरीक्षण 1968 से नहीं किये जाने के कारण सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । यह पाया गया कि उपरोक्त किसी भी मामले में मंत्रियों के साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों आदि से, सम्बन्धित विभाग द्वारा यात्रा शुल्क का दावा एवं उनसे उसकी प्राप्ति नहीं की गई । इसके लेखा-परीक्षा को कारण समर्पित नहीं किया गया ।	राजकीय विमान से यात्रा करने वाले मंत्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत स्टाफ एवं कभी-कभी उनकी इच्छा से वाह्य व्यक्ति भी खाली सीट पर यात्रा करते आ रहे हैं । वाह्य व्यक्ति में मंत्रीगण के स्टाफ भी सम्मिलित हैं । सुरक्षा की दृष्टीकोण से यह भी व्यवहारित प्रतीत नहीं होता है कि मंत्री/विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विमान में खाली सीट रहने पर सिविल विमानन विभाग की ओर से कोई वाह्य यात्री को उक्त विमान में स्थान दिया जाए । यह भी पाया गया है कि वायुयान संगठन द्वारा सिड्यूल फ्लाईट के नियमित रूप से व्यवस्था नहीं रहने के कारण कोई वाह्य व्यक्ति सीट खाली रहने पर यात्रा करने के लिए इच्छुक उपलब्ध नहीं रहते हैं । जहाँ तक श्री टेकरीवाल के लड़के द्वारा वायुयान की सीट के उपयोग के लिए चार्ज का प्रश्न है नियमावली के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 15.04.2000 को भुगतान किया जा चुका है । मंत्रीयों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण अथवा मंत्रियों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण अथवा मंत्रिगण के सहायतार्थ कोई वाह्य व्यक्ति की यात्रा पर 1.87 लाख रुपये निरर्थक व्यय से संबंधित आपत्ति जो परिचालन दर के आधार पर आँकी गई है, का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।	विभाग नियमावली बनाकर उसे सख्ती से लागू करे । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कंडिका संख्या</th><th>आपत्ति</th><th>विभागीय स्पष्टीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td><td>5.</td></tr>
<tr><td></td><td>(vi) परिचालन दर का निर्धारण नहीं किया जाना</td><td>सरकार द्वारा 1965 में सरकारी वायुयान संगठन की स्थापना की गयी। 1968 तक प्रत्येक विमान के लिये परिचालन दर निर्धारित नहीं की गई थी जबकि युग्म इंजन वायुयान के लिये 7.50 रुपये एवं एकल इंजन वायुयान के लिये 6 रुपये प्रति न्युटिकल माइल वसूली शुल्क के रूप में निर्धारित था। फिर भी, वायुयान संगठन वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था प्रत्येक विमान का परिचालन दर, ईंधन खपत, अनुरक्षण शुल्क और स्थापना व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नहीं किया गया था। मई 1990 में, संगठन का रूपान्तरण सिविल विमानन विभाग में होने के उपरान्त विभाग द्वारा 1991 में निम्नलिखित परिचालन दर निर्धारित किया गया :-
<table>
<tr><th>वायुयान</th><th>दर प्रति घंटा</th></tr>
<tr><td>हेलिकॉप्टर</td><td>15000</td></tr>
<tr><td>किंग एयर सी-90</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>बैरोन-55</td><td>8000</td></tr>
<tr><td>डचेज-76</td><td>5000</td></tr>
</table>
यद्यपि लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर विभाग द्वारा जून 1997 में निम्नलिखित परिचालन दर निर्धारित किया गया :
<table>
<tr><th>वायुयान</th><th>दर प्रति घंटा</th></tr>
<tr><td>हेलिकॉप्टर</td><td>26500</td></tr>
<tr><td>किंग एयर सी-90</td><td>15000</td></tr>
<tr><td>बैरोन-55</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>डचेज-76</td><td>7500</td></tr>
</table>
मामले सरकार को संदर्भित किये गये (अगस्त 1997)। उनका उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर 1997)।</td><td>यथा उपरोक्त "छ" पर उल्लिखित है। वर्ष 1991 के पश्चात् 1998 में परिचालन दर का पुनः संशोधित आदेश दिनांक 04.02.98 को निर्गत किया गया है।</td><td>विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।</td></tr>
</table>

वर्ष 1996-97

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	परिशिष्ट 2.2. परिशिष्ट 2.2.2 परिशिष्ट- iv वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधन अनावश्यक साबित हुए ।	विनियोग लेखा परीक्षण का परिणाम - 22-नागरिक उड्डयन अनुपूरक अनुदान/विनियोग-2.00 बचत-5.23	बिहार उड्डयन संस्थान के लिए "3053-सिविल विमानन प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 मे विद्युत मद में प्राप्त विपत्रा के विरूद्ध भुगतान हेतु अनुपूरक अनुदान के माध्यम से 2.00 लाख रूपये लिया गया था । उक्त राशि में से मात्र 01 लाख रूपये की बचत हुई है । वर्ष 1996-97 मे गैर योजनान्तर्गत कुल उपबंधित राशि 50,39,000.00 रूपये के विरूद्ध 2,15,720.00 रूपये की बचत मुख्यतः वेतन में बचत होने के कारण यह राशि (2,15,720.00) का प्रत्यर्पण किया गया । प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की छाया प्रति सुगम निदेशार्थ संलग्न है । सिविल विमानन विभाग कतिपय उच्च स्तर के अभियंता यथा मुख्य विमान अभियंता, हेलिकॉप्टर चालक आदि पदों के लिए बजट में वेतन का प्रावधन रहता है । परंतु, उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन मद से प्रतयर्पण स्वाभाविक है । प्रत्यर्पण विवरणी संलग्न है । विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 द्वारा ज्ञापित ।	2.2 विभाग नियमावली बनाकर उसका सख्ती से पालन करें । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है । 2.2.2 विभागीय उत्तर के आलोक में इसे निष्पादित करती है ।

वर्ष 1997-98

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	परिशिष्ट ix क्रमांक-11, 22-सिविल विमान अनुपूरक अनुदान/विनियोजन -3.7.6	वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधन अनावश्यक साबित हुए । बचत-138.90	3053 शीर्ष मे 3.76 लाख रूपये वेतन मे अनुपूरक प्रावधन के रूप में यथा 2070 शीर्ष मे वेतन 6,28,500.00 रूपये, यात्रा व्यय 2,75,000.00 रूपये, दूरभाष में 50,000.00 रूपये एवं विद्युत में 6,29,106.00 रूपये अनुपूरक से अर्थात कुल 20.18 लाख रूपये लिया गया है । वर्ष 1997-98 मे सिविल विमानन मद में कुल उपबंध 7,51,85,106.00 रूपये व्यय 6,12,57,666.00 रूपये अर्थात कुल बचत मात्रा 1,39,27,440.00 रूपये हुआ है जिसका प्रत्यर्पण कर दिया गया है । प्रत्यर्पण की छाया प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट 8, 9 एवं 10) उल्लेखनीय है कि 3053 के अन्तर्गत वेतन आदि में जो अनुमानित खर्च नहीं हो सका उसका मुख्य कारण पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षण के क्रम में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, परन्तु वह खर्च नहीं हो सका । '2070' में विद्युत, दूरभाष के मद में ली गई राशि का व्यय हो चुका है । यथा वित्तीय वर्ष के अंत में पदाधिकारियों के यात्रा व्यय से संबंधित पारित नहीं होने के कारण यात्रा-भत्ता मद में बचत हुई । विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 10.01.2003 द्वारा ज्ञापित ।	भविष्य में विभाग सावधानी बरतते हुए सख्ती से वित्तीय नियमों का पालन करें । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

वर्ष 1998-99

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
1.	2.	3.	4.	5.
	2.3.6 परिशिष्ट VII क्रम सं0-6, 8-9 तक उद्धृत किया गया	ऐसे मामले जहाँ व्यय कम हुए थे बचत - 2.20	(नीचे देखें)	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

बिहार उड्डयन संस्थान के लिए :- गैर योजना

	व्यय	बचत
वेतन महँगाई भत्ता मद में	6,55,000.00	00.00
यात्रा व्यय मद में	2,00,000.00	1,57,000.00
अनुरक्षण मद में	15,00,000.00	00.00
कुल	23,55,000.00	1,57,000.00
राजकीय वायुयान संगठन के लिए : गैर योजना		
वेतन-महँगाई भत्ता मद में	27,03,500.00	106,000.00
दूरभाष मद में	60,000.00	20000.00
कुल	27,63,500.00	1,26,000.00
कुल योग	51,18,500.00	

व्यय की राशि अनुपूरक आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से प्राप्त की गई।
बिहार उड्डयन संस्थान के लिए योजनान्तर्गत राजकीय हवाई पट्टी के निर्माण/स्वीकृति नहीं होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में लगभग 191.1[illegible] लाख, वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण एवं अन्य मदों में व्यय नहीं होने कारण 1[illegible] लाख रूपये तथा राजकीय वायुयान संगठन के निमित्त गैर योजना अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि मदों में व्यय नहीं होने के कारण कुल 12.8[illegible] लाख रूपये खर्च नहीं होने के कारण अर्थात कुल 228.395 लाख रूपये प्रत्यर्पित किया गया, न कि 220.35 लाख रूपये। प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की प्रति सुगम निदेशार्थ संलग्न है। उपरोक्त कंडिकाओं के लिए विभागीय स्पष्टीकरण पत्रांक 17, दिनांक 30.01.2003 द्वारा ज्ञापित (परिशिष्ट 10, 11 एवं 12)।

वर्ष 1999-2000

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कंडिका संख्या</th><th>आपत्ति</th><th>विभागीय स्पष्टीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2</td><td>3.</td><td>4.</td><td>5.</td></tr>
<tr><td></td><td>अनुदान सं0-8
ख-5053
ख-[illegible]
ख-[illegible]
1.8.3</td><td>नागरिक उड्डयन विभाग
नागरिक उड्डयन
प्रशिक्षण एवं शिक्षा
प्रशिक्षण एवं शिक्षा
कुल प्रावधान-3.55
वास्तविक व्यय-0.59
बचत-2.56</td><td>सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यय के लिए 1999-2000 वर्ष में योजना अन्तर्गत 500 लाख रूपये के बदले 203.42 लाख एवं गैर योजना अनुदान 101.67 लाख अर्थात कुल 305.09 लाख रूपये का अन्तिम उपव्यय उपबंध रखा गया था जिसमें से योजना मद में 64.35 लाख एवं गैर योजना मद में 83.72 लाख अर्थात कुल लगभग 148.07 लाख रूपये का व्यय किया गया ।
उपबंध के अनुसार कुल व्यय नहीं किए जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि योजनान्तर्गत हवाई अड्डा निर्माण कार्य, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस कर देने के कारण एवं गैर योजना अन्तर्गत समय पर वायुयान के कल-पुर्जे की आपूर्ति अनुमोदित आपूर्तक द्वारा नहीं करने एवं विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रशिक्षण उड़ान नहीं होने के कारण राशि की बचत हुई है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में कतिपय पदाधिकारियों द्वारा नये वेतनमान में वेतन नहीं लिये जाने के कारण राशि की बचत हुई तथा प्रत्यर्पित करना पड़ा । पूर्ववर्ती प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न है ।</td><td>दिनांक 20.02.2003 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभाग भविष्य में उतनी ही राशि ले जितनी वह खर्च कर पाये । इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।</td></tr>
<tr><td></td><td>परिशिष्ट-(ii) 2.3. 3

सं0 8</td><td>अनुदान/विनियोजन

नागरिक विमानन विभाग
अनुपूरक अनुदान/विनियोजन 19.46
बचत-47.[illegible]</td><td>3053-प्रशासन एवं 2072-राजकीय वायुयान संगठन
<table>
<tr><th></th><th></th><th>लिया गया अनुदान</th><th>व्यय</th><th>लिया गया अनुदान</th><th>व्यय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>वेतन</td><td>07.61</td><td>7.285</td><td>08.50</td><td>06.87</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>किराया, महसूल कर</td><td>03.35</td><td>3.360</td><td>00.00</td><td>00.00</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td>10.96</td><td>10.645</td><td>08.50</td><td>06.87</td></tr>
</table>
अर्थात कुल लिया गया अनुदान 19.46 के विरूद्ध उक्त मदों में 17.515 लाख का व्यय हुआ है । सिविल विमानन मद वर्ष 1999-2000 में कुल उपबंध 726.18 लाख रूपये एवं कुल व्यय 555.91 लाख रूपये हुआ है । स्पष्टतः उक्त वर्ष में कुल बचत मात्र 170.27 लाख रूपये ही हुआ है, जिसका मुख्य कारण ऊपर उल्लिखित है ।</td><td>विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।</td></tr>
</table>

वर्ष 1999-2000

क्रमांक	कंडिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष
1	2	3	4	5
2.3.6		[illegible] सं0-8 [illegible] विभाग बचत की राशि 4.76 (46.52)	[illegible] विभाग के अन्तर्गत [illegible] 1999-2000 वर्ष में [illegible] योजना अन्तर्गत 500 [illegible] 253.47 लाख एवं [illegible] योजना अन्तर्गत 101.67 लाख अर्थात कुल 355.09 [illegible] का अंतिम उपबंध/ उपलब्ध रखा गया था जिसमें से [illegible] 54 [illegible] एवं गैर योजना मद से 83.72 लाख अर्थात कुल लगभग 1[illegible]8.07 [illegible] का व्यय किया गया। अर्थात कुल बचत 197.32 लाख रुपये। उपबंध के अनुसार कुल व्यय नहीं [illegible] का मुख्य कारण यह रहा है कि [illegible] इकाई [illegible] विभाग द्वारा [illegible] की गई राशि वापस कर [illegible] के कारण एवं गैर योजना अन्तर्गत समय पर वायुयान के कल-पुर्जे की आपूर्ति [illegible] नहीं करने एवं विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रशिक्षण [illegible] नहीं होने के कारण राशि की बचत हुई है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में [illegible] पदाधिकारियों द्वारा नव वेतनमान में वेतन नहीं लिए जाने के कारण राशि की बचत हुई तथा प्रत्यर्पित करना पड़ा। प्रत्यर्पण प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट - 13, 14, एवं 15)	विभाग [illegible] व्यय [illegible] समिति इस [illegible] को निष्पादित करती है।
परिशिष्ट - V 2.3.7		अनुदान सं0-8 नागरिक उड्डयन [illegible] (बचत 1998-99 - 2.70 (25), 1998-99 - 4.76 (47))		तदैव
परिशिष्ट - [illegible] 2.3.8		अनुदान/विनियोजन सं0-8 नागरिक विमानन विभाग बचत - 4.76 अनाभ्यर्पित बचत - 4.63	तदैव	तदैव
2.3.9 परिशिष्ट - V		अनुदान/विनियोजन सं0-8 नागरिक उड्डयन विभाग अनुपूरक अनुदान/विनियोजन-51, 61 बचत-2,20.35	उपबंध/व्यय एवं बचत का विवरण उपरोक्त कंडिका में उल्लिखित है। उल्लेखनीय है कि [illegible] इकाई से ही [illegible] राशि का व्यय होना है अर्थात वेतन इकाई में से वेतन इकाई का व्यय होना है। वेतन इकाई में [illegible] नहीं होने के कारण अनुपूरक में [illegible] इकाई में ही राशि प्राप्त की गई है और उक्त इकाई में प्राप्त राशि लगभग व्यय की गई। प्रत्यर्पण की राशि मुख्य रूप से अन्य दूसरी इकाई [illegible] मुख्य रूप में है। कुछ राशि गैर योजना इकाई "अनुदान" एवं "छात्रवृत्ति" तथा "वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि" की इकाई से राशि की बचत के फलस्वरूप प्रत्यर्पण हुई है। सुगम निष्पादन 1999-2000 वर्ष का गैर योजना एवं योजना मद में उपलब्ध राशि तथा 2070 एवं 3053 शीर्ष का बचत प्रत्यर्पण का विवरण संलग्न है। उपरोक्त सभी कंडिकाओं का विभागीय स्पष्टीकरण संख्या 17, दिनांक 10.01.2003 द्वारा [illegible]	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में विभाग [illegible] की [illegible] व्यय [illegible] करें। इसके साथ अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

पटना -
दिनांक 30.3.04

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

37

परिशिष्ट 1

Form [illegible]

1. Name of the Department : Civil Aviation Department, Govt. of Bihar, Civil Aerodrome, Patna.

2. Major Head : "3053 नागर विमानन प्रशिक्षण तथा शिक्षा"

3. Financial year : 1989 - 90

4. Primary Unit : Wire details under the Major Head.

S/No. Primary Unit.	Budget Provision.	Actual drawals reported by all the D.D.O's.	Drawals as reported by A. G.	Remarks.
१. २.	३.	४.	५.	६.
1. वेतन	1845000.00	717823.20 (items 1–2)		
2. जीवन यापन भत्ता	1057000.00			
3. यात्रा भत्ता	65000.00	14975.65		
4. मजदूरी	42000.00	40663.50		
5. कार्यालय व्यय	99000.00	98941.21		
6. किराया महसूल कर	2000.00			
7. व्यावसायिक सेवा	8000.00	7750.00		
8. लघु निर्माण	31500.00			
9. मशीन एवं उपस्कर	8000.00			
10. आतिथ्य व्यय	3000.00	732.50		
11. हवाई जहाज का मुख्य [illegible]	16000.00	15041.20 (items 11–12)		
12. एयरोड्रोम रिजर्व फण्ड	19500.00			
13. अनुरक्षण	450000.00	314495.00		
14. बीमा	38000.00			
15. छात्रवृत्ति	580000.00	350431.00		
योग =	4245000.00	1608853.26		
16. [illegible] केन्द्रीय उपयोजना	1600000.00	78690.55		
17. अन्य केन्द्रीय उपयोजना	150000.00	70596.80		

(A. K. Sinha)
Director-cum-Special Secretary.

Dinesh/

[illegible] 1608853-26

परिशिष्ट 2

बिहार बजट बी० टी० (एक) सं०—27

ज्ञाप सं०.........

बिहार सरकार

............विभाग

सेवा में

पटना, दिनांक 199

विषय— 30 [illegible] विकास [illegible] के अन्तर्गत व्यय का अनुमोदन।

महाशय— संलग्न विवरण में उल्लिखित रु० [illegible] रु०) राशि का अनुमोदन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी की जाती है और इसे 1991-92

अनुदान 82

—————— शीर्ष में "निकासी के लिये प्राधिकार" में जोड़ दिया जाता है।

अनुलग्न विनियोग

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] 31-3-92
सरकार के सचिव।
निदेशक सह विशेष सचिव
[illegible] विभाग
[illegible], पटना

ज्ञाप संख्या 7-3/92-616

पटना, दिनांक 31-3-92 199

*महालेखाकार [illegible]

प्रति, विवरण की एक प्रति के साथ, वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस पृष्ठांकन के साथ भेजने के लिए, प्रेषित की जाती है कि व्यय तथा निकासी वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है।

2. इस ज्ञाप की एक अभिप्रमाणित प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग (बजट शाखा) के प्रयोग के लिये संलग्न है।

*3. [illegible] मुख्य लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार, [illegible] कार्यालय तथा भारतीय [illegible] संख्या के [illegible] को भी सूचना दी जाये। इस ज्ञाप की [illegible] (अनुलग्नक अथवा विवरण के सुसंगत उद्धरण सहित) प्रयोजनार्थ संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] 31-3-92
सरकार के सचिव,
निदेशक सह विशेष सचिव
[illegible] विभाग
[illegible], पटना

*आवश्यक हो तो कंडिका को संशोधित कर दें या काट दें।

परिशिष्ट 3

बचत के प्रत्यर्पण का विवरण

1972—1973 की अनुदान संख्या 19

1972—1973 की अनुदान विनियोग संख्या

प्रधान, लघु और उप-शीर्ष तथा प्राथमिक इकाइयाँ	[illegible] उपबंध	वर्तमान उपबंध	सरकार को प्रत्यर्पित राशि	प्रत्यर्पण के बाद का उपबंध	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
179 [illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible] सुरक्षा	92,[illegible],[illegible]	6[illegible],[illegible],000	[illegible],33,414·15	10,11,[illegible]5·35	पद रिक्त रखने के कारण बचत है ।
घ—	[illegible]	6[illegible],03,000	56,[illegible],178·[illegible]	11,03,[illegible]9·17	
[illegible]	5,[illegible],[illegible]	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	मितव्ययिता पर प्रतिबंध के कारण बचत है ।
[illegible]	3,[illegible],[illegible]	2,16,000	5,002·[illegible]	2,00,1[illegible]7·59	
[illegible]	37,000	37,000	[illegible]·[illegible]	37,0[illegible]·99	
[illegible]	37,000	30,000	17,2[illegible]·[illegible]	12,7[illegible]·90	
[illegible]	45,000	45,000	525·10	[illegible]5·05	
दूरभाष	[illegible],0000000	,0000000	9,470·73	[illegible],20,5[illegible]9·25	
मशीन और [illegible]	5,53,000	[illegible],53,000	7,004·17	[illegible],55,1[illegible]5·53	
[illegible]	71,04,000	71,04,000	36,0[illegible]·17	70,47,3[illegible]4·83	
अनुदान					
योग (प्रत्यर्पित राशि)	2,22,[illegible]	2,[illegible],31,[illegible]	[illegible]	2,15,[illegible]	

टिप्पणियाँ— (1) [illegible] अलग विवरण तैयार करना चाहिए।

(2) [illegible] प्रयोग में प्रस्तावित करना चाहिए।

(3) [illegible] अभ्युक्तियाँ स्तंभ में या अलग विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाए जाएं।

42

वित्त विभाग बी॰ टी॰ (एक) सं॰—27

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग
विभाग

सेवा में

2070 अन्य प्रशासनिक [illegible] [illegible] सरकारी
विषय— [illegible] के [illegible] मार की [illegible]
[illegible] पैसे मात्र

आदेश—संलग्न विवरण में उल्लिखित (03,20,457=74 रु॰) राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी की जाती है और वह 1992-1993 वर्ष में [illegible]
संलग्नक—1

[illegible]

अनुदान [illegible]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] कुमार [illegible]
[illegible]
सरकार के [illegible] Special Secretary
Civil Aviation Department
Govt. of Bihar, Civil Aerodrome, Patna

ज्ञाप संख्या 276

पटना, दिनांक 31/3/93 199

*अनौपचारिक रूप से विमुक्त

प्रति, विवरण की एक प्रति के साथ, वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस पृष्ठांकन के साथ भेजने के लिए प्रेषित की जाती है कि आवंटन तथा निकासी वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है।

2. इस ज्ञाप की एक अतिरिक्त प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग (बजट शाखा) में प्रयोग के लिये संलग्न है।

*3. भारतीय [illegible] के पूर्व सेवा पदाधिकारी, महालेखाकार, [illegible] कार्यालय तथा [illegible] कार्यालय सेवा के संरक्षक को भी सूचना दे जायें। इस ज्ञाप की तीन/दो अतिरिक्त प्रतियाँ (अनुलग्नक अथवा विवरण के सुसंगत उद्धरण सहित) प्रयोजनार्थ संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
31-3-93
[illegible] कुमार [illegible]
[illegible]
सरकार के [illegible] Special Secretary
Civil Aviation Department
Govt. of Bihar, Civil Aerodrome, Patna

*आवश्यक हो तो कंडिका को संशोधित कर दें या काट दें।

परिशिष्ट 3(अ)

बचत के समर्पण का विवरण

1995–1996 की अनुदान संख्या

1995–1996 की अनुदान विनियोग संख्या

प्रधान, लघु और उप-शीर्ष तथा प्राथमिक इकाइयाँ	आय-व्ययक अनुदान	वर्तमान अनुदान	सरकार को समर्पित राशि	समर्पण के बाद का अवशेष	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
2070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
– [illegible] और अनुदान					
– [illegible] का अनुदान					
वेतन	62,45,000	62,45,000	39,07,860=85	23,37,139=15	[illegible]
[illegible] भत्ता	46,84,000	46,84,000	34,96,541=80	11,87,458=20	
यात्रा व्यय	3,13,000	3,13,000	1,02,382=45	2,10,617=55	
कार्यालय व्यय	3,46,000	3,46,000	08=76	3,45,991=04	
गाड़ी	37,000	37,000	8,698=00	28,302=00	
विज्ञापन प्रचार	33,000	33,000	4,862=61	28,137=39	
[illegible]	41,000	41,000	717=60	40,283=40	
मशीनरी और उपकरण	1,00,00,000	1,00,00,000	158=95	99,99,841=05	
सामग्री और प्रदाय	8,93,000	8,93,000	181=64	8,92,818=36	
अनुदान	71,19,000	71,19,000	184=31	71,18,815=69	
योग (समर्पित राशि)	2,93,11,000	2,93,11,000	75,21,618=67	2,17,89,381=33	

([illegible])

टिप्पणियाँ—(1) भारित और मतदेय मदों के लिए अलग विवरण तैयार करना चाहिए।

(2) यदि स्तम्भ 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो तो उसे या तो अभ्युक्तियाँ स्तम्भ में या अलग विवरण में संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए।

(3) स्तम्भ 4 में समर्पण का कारण या तो अभ्युक्तियाँ स्तम्भ में या अलग विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाये।

वित्त विभाग बी० टी० (एक) सं०—37

ज्ञाप सं० 247 (वि)

बिहार सरकार

[illegible] विभाग

सेवा में

पटना, दिनांक 31. 3. 1995

विषय— [illegible] 2010 - [illegible] - 114 [illegible] के अन्तर्गत बजट का आवंटन।

आदेश—संलग्न विवरण में उल्लिखित (75, 21, 616= 67 [illegible]) राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी की जाती है और इसे [illegible]

अनुदान ——— मुख्य शीर्ष के "निकासी के लिये आवंटन" में जोड़ दिया जाता है।

अनुलग्न विनिर्दिष्ट

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] 31. 3. 95
[illegible]
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या 247 (वि) पटना, दिनांक 31. 3. 1995

*अनौपचारिक रूप से विनिर्दिष्ट

प्रति, विवरण की एक प्रति के साथ, *वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस पृष्ठांकन के साथ भेजने के लिए प्रेषित की जाती है कि आवंटन तथा निकासी वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है।

2. इस ज्ञाप की एक अतिरिक्त प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग (बजट शाखा) के प्रयोग के लिये संलग्न है।

*3. भारतीय उच्चायुक्त के मुख्य लेखा [illegible], महालेखाकार, भारतीय आयोग तथा भारतीय कार्यालय लेखा के [illegible] को भी सूचना दी जाये। इस ज्ञाप की तीन/दो अतिरिक्त प्रतियाँ (अनुलग्नक अथवा विवरण के सुसंगत [illegible] सहित) प्रयोगार्थ संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] 31. 3. 95
[illegible]
सरकार के सचिव।

*आवश्यक हो तो कंडिका को संशोधित कर दें या काट दें।

45.
परिशिष्ट 4

[illegible] संख्या—27

[illegible]

बिहार सरकार

[illegible] विभाग

[illegible]

सेवा में, महालेखाकार, बिहार, [illegible], रांची।

[illegible] 20,31,915 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

46

बचत की प्रत्यर्पण का विवरण

19 95 - 96 [illegible] 28

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
"3053-नागर विमानन-प्रशिक्षण तथा शिक्षा-गैर योजना					
वेतन	2215000	2215000	1387080	895000	
जीवन यापन भत्ता	2326000	2326000	1074700	1251300	
मजदूरी	42000	42000	300	41700	
यात्रा भत्ता	72000	72000	—	72000	
अनुरक्षण	1000000	1500000	133450	1366550	दिनांक 16-3-96 को विभाग [illegible] किया गया लेकिन [illegible] द्वारा [illegible] नहीं [illegible] होने के कारण
आतिथ्य व्यय	3000	3000	3000	—	
कार्यालय व्यय	99000	98000	800	97200	
विज्ञापन	8000	8000	8000	—	दिनांक 29-3-96 को विभाग [illegible] नहीं [illegible] नहीं [illegible] होने के कारण
दूरभाष	16000	60000	52700	7300	
ईंधन	38000	38000	23665	14335	
किराया, महसूल, कर	2000	2000	2000	—	[illegible]
सामग्री	700000	700000	26700	67[illegible]00	[illegible]
मशीनरी	31000	31000	—	31000	[illegible]
वर्दी	15000	15000	—	15000	
[illegible]	10000	10000	10000	—	
[illegible]	49000	49000	49000	—	
[illegible]	6000	6000	6000	—	
[illegible]	5000	5000	5000	—	[illegible]
[illegible]	16000	16000	16000	—	[illegible]

टिप्पणी—(1) [illegible] के लिए [illegible] [illegible] चाहिए।

(2) यदि [illegible] 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो तो [illegible] अभ्युक्तियाँ [illegible] में [illegible] के संबंध में [illegible] करना चाहिए।

(3) [illegible] अभ्युक्तियों [illegible] में [illegible] जाय।

परिशिष्ट 4(अ)

वित्त विभाग जी० ओ० (मु०) सं० 22

ज्ञाप सं० वि०नि०/नि० 2- 345/96

बिहार सरकार

.... विभाग

स्वीकृति विज्ञप्ति

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
पोस्ट-डोरंडा, रांची।

पटना, दिनांक 31-3-96 199

विषय- 3053-नागर विमानन-वायुयान [illegible] वर्ष का प्रावधान।

महाशय— [illegible] 87,265/- [illegible] स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी की शर्ते हैं और [illegible] ....

अनुदान

.... [illegible] के लिये आवंटन में जोड़ दिया जाता है।

अनुदान विनियोग

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] 21-3-96
[illegible] सचिव
सरकार के सचिव।
[illegible]

ज्ञाप संख्या ....

पटना, दिनांक 199

*प्रतिलिपि [illegible] को सूचनार्थ

प्रति, विवरण की एक प्रति के साथ, *वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस [illegible] के साथ भेजने के लिए प्रेषित की जाती है कि [illegible] विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है।

2. इस ज्ञाप की एक अतिरिक्त प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग (बजट शाखा) में प्रयोग के लिये संलग्न है।

*3. [illegible] (अनुलग्नक तथा विवरण के पूर्वोक्त अवतरण सहित) अग्रेषणार्थ संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

---

*आवश्यक हो तो पंक्ति को संशोधित कर दें या काट दें।

बजट के प्रत्यर्पण का विवरण

19 95-19 96 अनुदान संख्या

19 —19 के अनुदान विनियोग संख्या

प्रभाग, लघु और उप-शीर्षक तथा प्राथमिक इकाइयाँ।	आय-व्ययक (अनुदान)।	वर्तमान उपलब्ध	सरकार को प्रत्यर्पित रकम।	प्रत्यर्पण के बाद का उपलब्ध।	अभ्युक्तियाँ।
1	2	3	4	5	6
"3053-नागर विमानन-प्रशिक्षण तथा शिक्षण-योजना"					
अन्य क्षेत्रीय उपयोजना	13,00,000	4,53,130	35,496	4,17,634	[illegible]
जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना	[illegible]	4,00,000	51,770	3,48,230	
योग (प्रत्यर्पित रकम)			87,266		

टिप्पणी—(1) प्रत्येक मांग अनुदान के लिए अलग विवरण तैयार करना चाहिए।

(2) यदि स्तम्भ 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो तो उसे या तो अभ्युक्तियाँ स्तम्भ में या अलग विवरण में संक्षेप में अभिव्यक्त करना चाहिए।

(3) स्तम्भ 4 में प्रत्यर्पण का कारण या तो अभ्युक्तियाँ स्तम्भ में या अलग विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाय।

49

परिशिष्ट 4(ब)

ज्ञाप सं० ...244/92-511

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संख्या में

पटना, दिनांक ...31-3-2000

विषय--2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें--सरकारी भवनों का अनुरक्षण 114-परिवहन की आपूर्ति और अनुरक्षण

आदेश--संलग्न विवरण में उल्लिखित (86,61,820

2. इस राशि की निकासी की जाती है और इसे ...

...व्यय किया जाये।

अनुलग्नक : विवरण

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० 31.3.96

बिहार सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, पटना

ज्ञाप संख्या ...

पटना, दिनांक ... 199

प्रतिलिपि ... विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस ... प्रेषित की जाती है कि ... वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है। ... के लिये प्रेषित है।

2. इस आदेश की एक अतिरिक्त प्रति (...) वित्त विभाग (बजट शाखा) ... महालेखाकार, ... के ... को भेज दी जाये। ... अपेक्षित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

...

51

परिशिष्ट 5

बचत के प्रत्यर्पण का विवरण

1996-1997 की अनुदान संख्या 19

19 -19 की अनुदान विनियोग संख्या

शीर्षक, उप-शीर्ष और प्रारम्भिक इकाइयां	[illegible]	[illegible]	सरकार को अभ्यर्पित राशि	[illegible]	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-परिवहन की खरीद और उसकार्य [illegible] सरकारी वाहनों का भुगतान।					
वेतन	1962060	2268050	6000	2262050	[illegible] नहीं [illegible] होने के कारण।
[illegible]	2119000	2369290	8900	2360390	- तदैव -
[illegible]	335000	335000	26100	308900	- तदैव -
[illegible]	400000	400000	800	399200	
कार्यालय व्यय	75000	75000	10535	64465	
[illegible]	100000	100000	शून्य	100000	
[illegible]	100000	238570	125	238445	
[illegible]	10000000	10000000	शून्य	10000000	
मशीन एवं उपकरण	1000000	750000	99	749901	
सामग्री और पूर्तियां	7000	7713660	12910	7700750	
[illegible]					
जोड़ (अभ्यर्पित राशि)	[illegible]	[illegible]10/-	65469/-	[illegible]4101/-	

[illegible] की उपलब्ध [illegible]

टिप्पणियां- (1) [illegible]

(2) यदि स्तम्भ 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो [illegible]

के संबंध में उल्लेख करना चाहिए।

(3) स्तम्भ 4 में प्रत्यर्पण का कारण [illegible] अभ्युक्तियां स्तम्भ में [illegible] दर्शाया जाय।

वित्त विभाग बी० टी० (एफ) सं०—२२

52

ज्ञाप सं०— वि०वि०वि० 2-5 37/72 — 49 [illegible]

बिहार सरकार

.... विभाग

स्वीकृति विज्ञापन

सेवा में [illegible]

पटना, दिनांक [illegible] 199 [illegible]

विषय— 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें [illegible] कोड-[illegible]-सरकारी [illegible] का भुगतान

आदेश—[illegible] विवरण में [illegible] रु० [illegible] राशि का व्ययार्थ स्वीकृत किया जाता है।

45,469·00

२. इस राशि की निकासी और [illegible]

1996 — 97 के

——————————बजट शीर्ष के "विकलनों के लिये अग्रिमों" में [illegible] किया जाता है।

अनुलग्न विवरण

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

[illegible] 31 ? ?2

सरकार के सचिव।

[illegible]

ज्ञाप संख्या..........

पटना, दिनांक 199

*महालेखाकार [illegible] बिहार

प्रति, विवरण की एक प्रति के साथ, वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस सूचना के साथ भेजने के लिए प्रेषित की जाती है कि सम्बन्ध [illegible] वित्त विभाग द्वारा [illegible] की गयी है।

२. इस मद की कुल [illegible] (अनुलग्न [illegible]) वित्त विभाग (बजट शाखा) के [illegible] में [illegible] है।

*३. [illegible] के [illegible] महालेखाकार [illegible] की भी सूचना दी जाये। इस [illegible] (अनुलग्न [illegible] विवरण के [illegible]) [illegible] है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

*आवश्यक हो तो [illegible] को संशोधित कर दें या काट दें।

परिशिष्ट 6

बचत के अभ्यर्पण का विवरण

1986—1987 की अनुदान संख्या ....

1986—1987 की अनुदान विनियोग संख्या ....

शीर्ष, उप शीर्ष और प्राथमिक इकाइयां	[illegible]	[illegible]	बचत की अनुमानित राशि	अभ्यर्पण के बाद की बचत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
3053 नागर विमानन 01 नागर विमानन 003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजना	5,00,000	[illegible]	61400	438600	[illegible]
योग (कुल राशि)	500000	500000	61400/-	438600	

टिप्पणी—(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

54

[illegible] (क्ष) सं—27

पत्र सं० ....

बिहार सरकार

[illegible] विभाग

सेवा में
[illegible]

पटना, दिनांक 19
[illegible] पत्रांक ... का आवंटन।

विषय—[illegible] स्वीकृति [illegible] किया जाता है।

आदेश—[illegible] (...) [illegible] ....

2. [illegible] की निकासी [illegible] [illegible]

व्यय [illegible] शीर्ष के [illegible] के लिये आवंटन में डाला जाता है।

अनुमान [illegible]

[illegible] के आदेश से,
[illegible] 31-3-57
सरकार के [illegible]

ज्ञाप संख्या ....
पटना, दिनांक 19

महालेखाकार, बिहार [illegible] के लिये

प्रति, [illegible] की एक प्रति के साथ, [illegible] विभाग ([illegible] शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को [illegible] [illegible] के साथ भेजने के लिए [illegible] जाता है कि [illegible] विभाग द्वारा [illegible] की गयी है। [illegible] विभाग ([illegible] शाखा) के प्रयोग के लिये [illegible] है।

2. इस पत्र की एक [illegible] प्रति ([illegible]) [illegible] विभाग ([illegible] शाखा) [illegible] कोषागार [illegible] पदाधिकारी, महालेखाकार, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को भी सूचना दी [illegible] [illegible] आवश्यक [illegible]।

[illegible] के आदेश से,
[illegible] 31-3-57
सरकार के सचिव।

[illegible] हो तो [illegible] को संशोधित कर [illegible]

55

वित्त विभाग [illegible]

परिशिष्ट 7

[illegible] 2336/19-46/97 [illegible]

बिहार सरकार

[illegible] विभाग

सेवा में [illegible]

पटना, दिनांक [illegible] 199

विषय— [illegible] के आवंटन [illegible]

[illegible] (2,15,770) [illegible]

2. इस राशि की निकासी की जाती है और इस [illegible] 1996-97 [illegible]

मनुदान [illegible]

अनुलग्न विवरणी

[illegible] के आदेश से,

[illegible] 97

सरकार के [illegible]

[illegible]

ज्ञाप संख्या [illegible]

पटना, दिनांक [illegible] 199

[illegible] को प्रेषित

[illegible] विवरण (बजट शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार [illegible] [illegible] वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत [illegible] है।

[illegible] विवरण की एक प्रति के साथ [illegible] वित्त विभाग (बजट शाखा) में प्रयोग के लिये संलग्न है।

2. इस ज्ञाप की एक अतिरिक्त प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग [illegible] भारतीय [illegible] के [illegible]

[illegible] भारतीय [illegible] सहित) [illegible] संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

[illegible] 97

सरकार के सचिव।

[illegible]

56

बचत के समर्पण का विवरण

199[illegible]–1997 की बजट संख्या .... 2L ....

19 —19 की बजट [illegible] ....

प्रभाग, मद और अन्तिम तथा प्राथमिक इकाइयाँ	आय-व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	सरकार को समर्पित राशि	समर्पण के बाद का अनुमान	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
253 [illegible] – [illegible] परिवार – [illegible]					
वेतन	956000	956000	[illegible]	956000	आवश्यकता नहीं है
[illegible]	1255000	1255000	116270	1138730	
[illegible]	55000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	72000	72000	6640	65,360	
[illegible]	95000	75000	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	10000	[illegible]	900	[illegible]	
[illegible]	3000	3000			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	30000	21000	17360	1640	
[illegible]	2000	2000	[illegible]		
[illegible]	20000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	10000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	15000	15000	1500	—	
[illegible]	10000	10000	10000	—	
[illegible]	1000	1000	1000		
[illegible]	5000	5000	—	5000	
[illegible]	15,00,000	15,00,000	8600	1491,400	
[illegible]	20000	20000	—	20000	
योग (अन्तिम योग)	4839000	5039000	215720	48[illegible]1980	

[illegible]

टिप्पणियाँ—(1) बजट और प्रत्येक मदों के लिए अलग विवरण भेजे जाने चाहिए।

(2) यदि स्तम्भ 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो तो उसे का [illegible] अभ्युक्ति स्तम्भ में [illegible] विवरण के संबंध में उल्लेख करना चाहिए।

(3) स्तम्भ 4 में समर्पण का कारण [illegible] अभ्युक्ति स्तम्भ में [illegible] विवरण में पूर्ण [illegible]।

[illegible]